UPJB010015052018

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारीः– श्री शाकिर हसन, (एच0जे0एस0)

{JO CODE-UP 2416}

सत्र परीक्षण संख्या–93/2018

राज्य .... **अभियोजन**

बनाम

1–साजिद पुत्र जाहिद निवासी जाफ्तागंज नई बस्ती नजीबाबाद थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर।

2–नाजिम पुत्र मकबूल कुरैशी निवासी मौ0 जाफ्तागंज निकट पुलिस चौकी थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर।

3– जाकिर पुत्र नासिर उर्फ अब्दुल हमीद निवासी मौ0 इस्लामनगर निकट ईदगाह थाना अमरोहा नगर जिला अमरोहा **(दौराने विचारण मृत्यु होने के कारण वाद कार्यवाही अवेट)**

4– मौ0 राशिद पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर।

5– मुशारिक पुत्र अनीस अहमद निवासी मौ0 जाफ्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर

.... **अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–492/2017

धारा–302/149 ,452 भा0दं0सं0

थाना–नौगांवा सादात, जिला–अमरोहा।

<u>निर्णय</u>

1– यह सत्र विचारण दिनांक 06.04.2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 492/2017 धारा–302/34,452 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण साजिद, नाजिम, जाकिर, मौ0 राशिद एवं मुशारिक के विरूद्ध पारित सत्र सुपुर्दगी आदेश के उपरांत सत्र न्यायालय द्वारा विरचित किये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 149, 452, भा0दं0सं0 दिनांक 22.05.2018 के पश्चात विचारण प्रारम्भ हुआ है।

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.08.12 18:22:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– इस सत्र विचारणीय मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हैदर अब्बास पुत्र तुराब अली निवासी मौ0 बुद्ध बाजार कस्बा व थाना नौगांवा सादात जिला अमरोहा द्वारा तहरीर (प्रदर्श क–1) इकराम हैदर से लिखवाकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नौगांवा सादात पर पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 08.12.2017 को रात्रि के समय करीब 2 बजे घर के अन्दर तीन–चार बदमाश घुस आये। घर में जाग हो गयी। वादी मुकदमा का भाई शजर अब्बास उम्र करीब 50 वर्ष अपने कमरे से नीचे उतरकर आये तो बदमाशों ने शजर अब्बास को गोली मार दी जिसको इलाज के लिए अमरोहा ले जाते समय मृत्यु हो गयी। तहरीर लेकर आया हूॅं। कानूनी काकर्यवाही करने की कृपा करे।

3– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार अ0सं0 492 सन 2017 धारा 302 भा0. दं0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 08.12.2017 समय 04.30बजे अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसका इन्द्राज मुकदमा कायमी जी0डी0 सं0 06 दिनांक 08.12.2017 समय 04.30 बजे के अन्तर्गत किया गया ।

4– निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक शजर अब्बास की लाश का कब्जे पुलिस में लेकर मृतक का पंचायतनामा तैयार किया गया तथा उससे सम्बन्धित प्रपत्र तैयार किये और मृतक की लाश को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये। मौके से बरामद एक जोड़ी चप्पल की फर्द तैयार की गयी।

दिनांक 23.12.2017 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस बल के साथ समय़ 20.25 बजे थाना हाजा से रवाना होकर नौगावा सादात से धनौरा को जाने वाली बड़ी नहर रोड पर जाजरू पुलिस के पास चैंकिग में मामूर थे कि कुछ समय पश्चात धनौरा की तरफ से एक मोटर साईकिल व उसके पीछे पीछे एक कार आती दिखाई दी जिन्हें टार्च व हाथ के इशारे से रूकने का इशारा किया तो मोटर साईकिल चालक ने एकदम से कहा कि पुलिस है, गोली मार तभी मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने एकदम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से पुलिस वालों पर तमंचे से फायर किया जिससे पुलिस वाले बाल–बाल बचे और मोटर साईकिल को लेकर जाजरू पुल से होते हुए बोरा बोरी की तरफ को भागे और कार चालक ने कार को पीछे मोड़ने का प्रयास किया और कार में बैठे व्यक्तियों ने भी पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से दो–तीन फायर किये जिससे पुलिस वाले बाल–बाल बचे तथा पुलिस वालों ने अपनी रक्षार्थ

हेतु फायर किये। कार हडबडाहट में सड़क के किनारे झाड़ियों में फंस गयी कि पुलिस वालों ने एकदम घेरघोट कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 21.00बजे मारूति कार में बैठे पांचो व्यक्तियों को पकड़ लिया नाम पता पूछा तो मारूति कार में अगली सीट ड्राईवर की सीट के बराबर बांयी सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नाजिम पुत्र मकबूल कुरैशी व पता बताया जिसकी तलाशी पर **एक अदद तमंचा 12 बोर एक अदद खोखा कारतूस नाल में फसा,पैन्ट की बांयी जेब से 3 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर और पैन्ट की दाहिनी जेब से 210/–रूपये बरामद हुए पिछली सीट पर बांयी खिड़की की तरफ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आरिफ पुत्र मौ0 नसीम व पता बताया जिसकी जामा तलाशी पर दाहिने हाथ में पकड़ा एक अदद तमंचा 315 बोर जेब से 3 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर व दाहिनी जेब से 180/–रूपये बरामद हुए ,तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मौ0 राशिद पुत्र अब्दुल व पता बताया जिसकी जामा तलाशी पर एक अदद तमंचा देशी 315 बोर, दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा तथा बांयी जेब से 135/–रूपये बरामद हुए चौथे व्यक्ति ने अपना नाम जाकिर पुत्र नासिर व पता बताया जिसकी जामा तलाशी पर एक अदद चाकू नाजायज व दाहिनी पैन्ट की जेब से 165/–रूपये बरामद हुए पांचवे व्यक्ति ने अपना नाम मुशारिक पुत्र अनीस अहमद व पता बताया जिसकी जामा तलाशी पर एक अदद चाकू नाजायज व बांयी जेब से 215 रूपये बरामद हुए। कार की डिग्गी खोलकर चैक किया गया तो एक प्लास्टिक के थैले से एक अदद प्लास, एक अदद संडासी, एक अदद लोहे का हथौड़ा, एक अदद सव्ल्ल लोहे का बरामद हुआ** । अभियुक्तगण से तमंचे, कारतूस व चाकू रखने का लाईसेन्स व कार के कागजात तलब किये गये तो नही दिखा सके। अभियुक्तगण से उनके सभी भागने वाले मोटर साईकिल सवार बदमाशों के नाम पते पूछे तो सभी ने बताया कि उनमें एक साजिद पुत्र जाहिद निवासी मौ0 जाफ्तागंज नई बस्ती कस्बा व थाना नाजिबाबाद जिला बिजनौर, दूसरा प्यारो उर्फ महबूब पुत्र अहमद हसन निवासी कुआ खेंड़ा थाना बछरायूँ जिला अमरोहा बताया। अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग घूम फिरकर मकान व दुकान आदि में चोरी करते है। फर्द मौके पर तैयार की गयी। अभियुक्तगण से बरामद माल व गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को थाने पर दाखिल कर मुकदमा पंजीकृत कराया ।

दौरान विवेचना दिनांक 24.12.2017 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस बल के साथ मय सरकारी गाड़ी यू0पी0 23 जी0–0188 व गजरौला के उपनिरीक्षक श्री रामप्रकाश शर्मा, उपनिरीक्षक विनोद कुमार त्यागी व का0 चालक जयपाल सिंह जीप सरकारी यू0पी0 23जी–0228 के थाना हाजा पर हवालात में

मर्दाना में बन्द अभियुक्तगण जाकिर, नाजिम, राशिद, मौ0 आरिफ, मुशारिक को हथकड़ी रस्सी लगाकर गाड़ी सरकारी में बैठाकर उम्मीद बरामदगी घटना में प्रयुक्त गाड़ी बुलेरो पीकअप सी.बी.सी. यू0पी0 11 सीए 0731 सम्बन्धित अ0सं0 492 सन 2017 धारा 302 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण के बताये हुए स्थान मौ0 इस्लामनगर अमरोहा थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 8 समय 03.45 बजे रवाना होकर उपस्थित आये, गली में खाली स्थान पर अभियुक्त जाकिर ने गाड़ी को रूकवाकर खाली स्थान में खड़ी बुलेरो पीकअप यू0पी011 सी0ए0–0731 को इशारा करके बताया कि यह वही गाड़ी है, जिससे नौगांवा सादात कस्बे में बुद्ध बाजार में मकान में चोरी करने के लिये हम लोग बैठकर आये थे और इसी में बैठकर भागे थे। चूँकि गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण ने घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद कराया है। वाहन का कब्जा पुलिस में लेकर फर्द प्रदर्श क–4 मौके पर टार्च की रोशनी में तैयार की गयी।

अभियुक्तगण के नाम उपरोक्त प्रकार से प्रकाश में आये। धारा 452 भा0. दं0सं0 की वृद्धि की गयी। गवाहों के बयान अंकित किये। साक्ष्य संकलन करने के उपरांत बाद विवेचना अभियुक्तगण साजिद, नाजिम, जाकिर, मौ0 राशिद एवं मुशारिक के विरूद्ध धारा 302,34, 452 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा ने दिनांक 06.04.2018 को मामले को सत्र सुपुर्द किया, जिसके आधार पर सत्र परीक्षण संख्या–93 सन 2018 दर्ज होकर दिनाक 22.05.2018 को अभियुक्तगण साजिद, नाजिम, जाकिर उर्फ कल्लू उर्फ टुण्डा, मौ0 राशिद, मुशारिक के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 149,452 भादं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित होकर विचारण प्रारम्भ हुआ।

दौरान विचारण अभियुक्तगण जाकिर उर्फ कल्लू उर्फ टुण्डा की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 12.06.2023 को वाद कार्यवाही अवेट की गयी।

<u>विचारण के दौरान प्राप्त हुआ साक्ष्य</u>–

6– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण इस प्रकार हैः–

<u>मौखिक साक्ष्य</u>–

पी0डब्लू0–1	हैदर अब्बास वादी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	डाक्टर फरीद हुसैन
पी0डब्लू0–3	उपनिरीक्षक ताजवर सिंह
पी0डब्लू0–4	मौहम्मद अब्बास
पी0डब्लू0–5	बिलकिस फात्मा

पी0डब्लू0—6	तहमीम फात्मा
पी0डब्लू0—7	उपनिरीक्षक लोकेन्द्र कुमार त्यागी
पी0डब्लू0—8	उपनिरीक्षक संजीव कुमार
पी0डब्लू0—9	एच0एम0 वीरेन्द्र सिंह
पी0डब्लू0—10	रविन्द्र प्रताप सिंह
पी0डब्लू0—11	उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार

7— दस्तावेजी साक्ष्य—

प्रदर्श क—1	घटना की तहरीर	पी0डब्लू0—1 हैदर अब्बास
प्रदर्श क—2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी0डब्लू0—2 डा0 फरीद हुसैन
प्रदर्श क—3	पंचायतनामा	पी0डब्लू0—3एस0आई0ताजवरसिंह
प्रदर्श क—4	फर्द बरामदगी	पी0डब्लू0—7एस0आई0लोकेन्द्र
प्रदर्श क—5	एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0—6वीरेन्द्र कुमार
प्रदर्श क—6	कायमी जी0डी0	पी0डब्लू0—6वीरेन्द्र कुमार
प्रदर्श क—7	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0—10निरीक्षक रविन्द्र प्रताप
प्रदर्श क—8	नक्शा नजरी बरामदगी	पी0डब्लू0—10निरीक्षक रविन्द्र प्रताप
प्रदर्श क—9	आरोप पत्र	पी0डब्लू0—10निरीक्षक रविन्द्र प्रताप
प्रदर्श क—10	फर्द बरामदगी चप्पल	पी0डब्लू0—10निरीक्षक रविन्द्र प्रताप

8— अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया और गवाहों द्वारा बयान गलत व झूठे दिये जाने का कथन किया गया। मुकदमा रंजिशन व झूठा चलने का कथन किया और यह कथन किया कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने कोई घटना कारित नहीं की है उन्हें झूठे मुकदमें में फसा दिया है। सफाई में साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया।

9— अभियोजन/राज्य की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10— प्रस्तुत मामले में अवधार्य प्रश्न यह उत्पंन होता है कि दिनांक 08.12.2017 को समय करीब 02.00बजे स्थान मौ0 बुद्ध बाजार कस्बा नौगांवा सादात थाना नौगांवा सादात जिला अमरोहा में अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के भाई शजर अब्बास को गोली मार दी, जिससे उसकी दौरान ईलाज मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्तगण ने मृतक शजर अब्बास के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

सिद्धान्त– अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त संन्देह से परे साबित करना होता है। इसके लिए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत यह देखना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष उक्त सत्र विचारण में अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही। इसके लिए सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को देखना अनिवार्य है।

दाण्डिक न्यायशास्त्र का पूर्णतया तय सिद्धान्त है कि अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध के आवश्यक तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व को साबित करने में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्त को अवश्य मिलना चाहिए। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय व स्थान पर ऐसी घटना घटित हुई जैसा कि अभियोजन कथानक है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि यदि किसी प्रकार की घटना अस्तित्व में रही हो क्या अभियोजन इसे पत्रावली पर उपलब्ध कराए गये साक्ष्यों से युक्ति युक्त ढ़ग से सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है? इस सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

11– **धारा 302 भा0दं0सं0 में यह प्राविधान है कि–** जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 149 भा0दं0सं0के अन्तर्गत– यह विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया गया है, या कोई अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति , जो उस अपराध के लिये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।

धारा– 452 भा0द0सं0 में यह प्राविधान है कि–जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति की उपहति के या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

12— प्रस्तुत प्रकरण मुख्यतः परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि **व्यवस्था शरद विरधी चन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य(1984)4 एस0सी0सी0 116 तथा विधि व्यवस्था विजय कुमार बनाम राजस्थान राज्य 2014 (3) एस0सी0सी0 412** के प्रकरण में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दूओं पर विचार किया जाना आवश्यक बताया जाता है।

1- Circumstantial evidence & requirements for conviction :

Circumstantial evidence , in order to be relied on ,must satisfy the following tests :

(1) Circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn must be cogently and firmly established .

(2) Those circumstances must be of a definite tendency unerringly pointing towards guilt of the accused .

(3) The circumstances , taken cumulatively , should form a chain so complete that there is no escape from conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and none else .

(4) The circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation of any other hypothesis than that of the guilt of the accused but should be inconsistent circumstances with his innocence should exclude in every other possible words ,the hypothesis except the one to be proved. Principles behind circumstantial evidence the Suprime Court has laid down following principles on circumstantial evidence .

1. The circumstances from which the conclusion of guilt is to drawn must or should be and not merely‘ may be’ fully established .

2. the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused , that is to say,they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty ,

3. the circumstances should be of conclusive nature and tendency ,

4. they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved , and

5. there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have

been done by the accused .

(I) Nathiya Vs . State , (2016) 10 SCC 298 (ii) Bhim Singh Vs State of Uttarakhand (2015) 4 SCC 281 (para23)(iii) Dhanraj Vs . State of Haryana ,(2014) 6 SCC 745 (paras 18 & 19)(iv) Dharam Deo yadav Yadav Vs . State of UP , (2014) 5 SCC 509

Hon'ble Apex Court in **Tika Vs. State of U.P., A.I.R. 1974 (SC) 155** has propounded that the prosecution is to establish its case beyond reasonable doubt, falsity of defence is not material.

In **Kali Ram Vs. State of H.P., A.I.R. 1973 (SC)2773,** Hon'ble Court has propounded that one of the cardinal principles, which has always to be kept in view in our system of administration of justice for criminal cases, is that a person arraigned as an accused is presumed to be innocent, unless that presumption is rebutted by the prosecution by production of evidence, which shows him to be guilty of the offence, by which he has been charged.

The essential ingredients for offence of murder punished u/s 302 I.P.C. are:

(1) that the death of some human being was caused,

(2) that such death was caused by the accused or see consequence of the act of the accused,

(3) that the accused did so:

(a) with the intention of causing death, or

(b)that the accused knew that this act was likely to cause death, or

(c) the injury (inflicted or caused) by the accused was sufficient in the ordinary course of nature to cause death. The prosecution needs to establish evidence in order to bring home the charge leveled against accused u/s 302, I.P.C. for establishing above essential ingredients beyond reasonable doubt:

(i) that the death of some human one has taken place.

(ii) that the such death was neither suicidal accidental, but it was homicidal.

(iii) that it was accused whose act or the consequence of his act, caused such death.

(iv) that the accused had no legal excuse or defence for

causing such death or for causing such injury.

(v) that the accused did such an act:

(a) with the intention of causing death, or

(b) with the intention of causing such bodily injuries,

(i) as the accused knew it likely to cause death or

(ii) (a) that such an injury was sufficient in ordinary course of nature of cause death, or

(b) that the accused caused death by doing an act which he knew, in all the probabilities to cause death or

(iii) the accused caused such bodily injury to such person as was likely to cause death.

Prosecution has to be establishes above essential ingredients by cogent and reliable evidence, This trial is based on circumstantial evidence and witnesses are to be appreciated.

13– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 हैदर अब्बास ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि वह व उसके भाई शजर अब्बास एक ही घर में साथ–साथ रहते थे। दिनांक 08.12.2017 को रात में करीब 2 बजे उनके घर के अन्दर 3–4 बदमाश घुस आये और घर में बदमाशों के घुसने पर जाग हो गयी और उसका भाई शजर अब्बास मकान के अन्दर कमरे में सो रहा था । **आवाज सुनकर शजर अब्बास कमरे से नीचे उतरकर आया तथा बदमाशो ंके पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने साक्षी के भाई शजर अब्बास को गोली मार दी, गोली की आवाज सुनकर वह और मौहल्ले के काफी लोग आ गये ।** साक्षी अपने भाई को इलाज हेतु ले जा रहे थे तो रास्ते मे उनकी मृत्यु हो गयी। घटना की तहरीर थाना नौगांवा सादात पर दी थी। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। घटना के कुछ दिन बाद साक्षी के भाई की हत्या करने वाले बदमाश पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये थे जिनकी शिनाख्त साक्षी की भाभी बिलकीस फात्मा द्वारा की गई थी । बदमाश हमारे घर में लूट के इरादे से घुसे थे।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शजर अब्बास मेरे भाई थे । हम दोनों भाई एक ही मकान में अलग–अलग रहते है। यह मकान दो मंजिला है। ऊपरी मंजिल में मैं और शजर अब्बास रहते थे। मेरे मकान में नीचे मंजिल में सिर्फ दुकानें बनी हुई है। ऊपरी मंजिल में मेरे और शजर के कमरे अलग–अलग

बने हुए है। हम अपना मकान बन्द करके सोये थे। अपने भाई की मृत्यु की सूचना मैंने दे दी थी। मैंने रिपोर्ट इकराम हैदर से लिखाई थी। जैसा मैंने बोला था वैसा ही इकराम हैदर ने लिखा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने दरोगा जी को बयान दिया था कि दिनांक 08.12.2017 को रात्रि करीब 2:00बजे तीन–चार बदमाश घुस आये और खटपट की आवाज से जाग हो गई और यह बयान दिया था कि मेरा भाई शजर अब्बास अपने कमरे में नीचे उतरकर आया और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो मेरे भाई शजर अब्बास को गोली मार दी थी जो मेरी रिपोर्ट में है। मैंने वही दरोगा जी को बयान दिया था। मुझे हिन्दी पढ़नी आती है। **मैंने दरोगा जी को यह भी बयान दिया था कि गोली की आवाज सुनकर मैं और मुहल्ले के काफी लोग आ गये थे तो हम अपने भाई को इलाज के लिऐ अमरोहा अस्पताल में ला रहे थे तो रास्ते में ही मेरे भाई की मृत्यु हो गयी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान घर पर लिया था। किस दिन लिया था इस समय ध्यान नहीं है। मैंने कोई शिनाख्त नहीं की थी। मेरे पहुंचने से पहले मुल्जिमान भाग चुके थे। मैंने दरोगा जी को किसी मौहल्ले वाले या किसी अन्य का नाम नहीं बताया था।**

14– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 डाक्टर फरीद हुसैन ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि दिनांक 8012.2017 को समय 3.15 बजे शजर अब्बास के शव का पोस्टमार्टम किया था । वाह्य परीक्षण में निम्न चोटें पायी गई थी।

चोट नं0–1 कटी हुई चोट घाव जिसका आकार 1.5 सेमी X 1.5 सेमी छाती की बायी तरफ गोल आकार में था। घाव अन्दर तक गहरा था घाव की बाहरी पर्त अन्दर की ओर धसी हुई थी। घाव बांयी बगल से 16 सेमी नीचे व बांये निप्पल से 20 सेमी नीचे बाहर की तरफ था । नाभि से 35 सेमी ऊपर था। आन्तरिक परीक्षण में उदर गुदा में 2.50 लीटर ब्लड रक्त मौजूद था। बांया गुर्दा और लिलिया(फ्लीहा) दोनों फटे हुए पाये गये मृत्यु का समय आधे दिन के अन्दर होना पाया गया।

साक्षी की राय में मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्राव और शॉक होना पाया गया अत्याधिक रक्त स्राव व शॉक होने का कारण फायर आर्म इंजरी पायी गयी तथा शव के शरीर में उदर गुदा में एक गोली बुलट पायी जो कि मृतक के मृत्यु का कारण थी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित करते हुए मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि **मृतक के शरीर पर कपड़े मौजूद थे। मृतक के कपड़े आज मेरे सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है।** मृतक के आमाशय में 600 एम0एल0 अर्धपचा भोजन मौजूद थे। मृतक ने क्या खाया होगा मैं नहीं बता सकता। मौत की अकड़न पूरे शरीर में मौजूद थी। मेरे द्वारा बताये गये मृतक के समय में दोनों तरफ आधे घण्टे के समय में अन्तर हो सकता है। छोटी आंत में गैस तथा बड़ी आंत में मल मौजूद था।

15— अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—3 उपनिरीक्षक ताजवर सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि दिनांक 08.12. 2017 को वह थाना नौगांवा सादात में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन समय 12.10बजे पर शजर अब्बास के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम हाउस अमरोहा में भरा था। सूचना मृतक के भाई हैदर अब्बास द्वारा दी गयी थी। साक्षी के साथ का0 अफशरून अली, होमगार्ड संजय कुमार भी साथ थे उसने पंचाग मौहब्बत अब्बास, अमीर अब्बास, मिशम अब्बास, मौ0 काजिम, नदीम अब्बास, नियुक्त किये थे मृतक के शरीर पर कपड़े कमीज, सफेद घारीदार गरम ग्रे कलर बनियार सेन्डो पेन्ट गहरी हरी कच्छी बाजारू कथई रंग थे। शव के बांयी बगल की तरफ एक घाव था। पंचायतनामा साक्षी द्वारा भरा गया था। पंचायतनामें पर नियुक्त पंचाग के हस्ताक्षर कराये थे। पंचायतनामा पत्रावली पर साक्षी के सामने मौजूद है जिस पर प्रदर्श क—3 डाला गया। साक्षी व उपनिरीक्षक संतकुमार, उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार, निरीक्षक रवीन्द्र प्रताप सिंह, एस0एस0आई0 सुरेन्द्र सिंह, कास्टेबिल सतीश कुमार, विनोद कुमार, अंकित, मोनू के साथ मय जीप सरकारी से रवाना होकर नौगांवा सादात धनौरा नहर के जाजरू पुलिस के पास चैंकिग में व्यस्त थे चैंकिग के दौरान नाजिम, आरिफ, मौ0 राशिद, जाकिर उर्फ कल्लू उर्फ कुण्डा व मुशारिक को मय तमंचे कारतूस व अन्य सामान व एक मारूति कार 800 रजिस्ट्रेशन सं0 डी0एल0 2 सी0एल01959 के साथ गिरफ्तार किया गया था।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि **पोस्टमार्टम हाउस पर थानाध्यक्ष के आदेश से गये थे। वह आदेश आज साक्षी के सामने मौजूद नहीं है और न ही पत्रावली पर है। मैं अपने साथ केवल जिल्द पंचायत नामा लेकर गया था। पंचनामें के गवाहान वही पर मौजूद थे। इन लोगों के साथ वादी हैदर अब्बास मौजूद थे। मृतक ने जो कपड़े पहन रखे थे वह उसके शरीर पर थे। मैंने अपने**

कब्जे में नहीं लिया था। पंचायतनामें में चोटों में केवल घाव शब्द लिखा गया है। अन्य कोई चोट नहीं है। रविन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगांवा सादात में निरीक्षक के पद पर तैनात थे और मैं रवीन्द्र प्रताप सिंह के अधीनस्थ थे अपराध सं0 492 सन 2017 यानी इस सत्र परीक्षण की विवेचना रवीन्द्र प्रताप द्वारा की गई थी। थाना नौगांवा सादात में दिनांक 23.12.2017 को अ0सं0 504/17 धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। अपराध सं0 504 सन 2017 थाना नौगांवा सादात के वादी श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह ही थे। अ0सं0 504/17 धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 में निरीक्षक रवीन्द्र सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो घटना बतायी गई है। उस पुलिस पार्टी के साथ मैं भी था अ0सं0 504 सन 2017 की घटना में 20:25 बजे बता रहा हूँ। इस अपराध सं0 504 सन 2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट कितने बजे पंजीकृत हुई मुझे नहीं पता है। यह कहना गलत है कि दिनांक 23.12.2012 को नाजिम, राशिद, आरिफ, जाकिर, मुशारिक गिरफ्तार न हुए हो। अ0सं0 504 सन 2017 धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 में रविन्द्र प्रताप सिंह ने जो अभियुक्त गिरफ्तार होना बताये है मैं उनके नाम वही बता सकता है। यह कहना गलत है कि मैं सरासर गलत ढ़ग से गिरफ्तारी की बात बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमानों को फंसाने की नियत से सही बात न बता रहा हो। यह कहना गलत है कि थाने में बैठकर सारी कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई हो।

16— अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—4 मौहम्मद अब्बास ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि दिनांक 08.12.2017 की रात को उनके मुहल्ले के शजर अब्बास की हत्या बदमाशों द्वारा कर दी गई थी। शजर अब्बास का पंचायतनामा पोस्टमार्टम हाउस अमरोहा में दिन में 12.10 बजे पुलिस कर्मचारीगण द्वारा भरा गया था । साक्षी भी उस समय पोस्टमार्टम हाउस अमरोहा पर मौजूद था साक्षी ने शजर अब्बास के शव को देखा था। शजर अब्बास के बांये बगल की तरफ एक घाव था तथा उसके शरीर पर कपड़े थे। पंचायतनामा साक्षी के सामने दरोगा जी ने भरा था पंचायत नामे पर साक्षी ने हस्ताक्षर किये थे।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं वादी हैदर अब्बास का भांजा हूँ। पोस्टमार्टम हाउस पर मेरे हस्ताक्षर हुए थे। मैंने एक जगह हस्ताक्षर किये थे। जिस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किये थे उस कागज को मैंने पढ़ा था। उसपर मेरे द्वारा हस्ताक्षर के अलावा कुछ नहीं लिखा था। यह कहना गलत है कि आप

पोस्टम हाउस पर न गये हो। थाने पर बैठकर पंचायत नामें पर अपने हस्ताक्षर किये हो।

17— अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—5 बिलकिस फात्मा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि घटना के समय साक्षी व उसके लड़के इकबाल हैदर की पत्नी तहमीम फात्मा घर पर थी। तहमीम फात्मा घर पर कमरे के अंदर सो रही थी उसका देवर शजर अब्बास ऊपर दूसरे कमरे में सो रहा था। रात्रि में करीब दो बजे घर के अंदर तीन चार बदमाश घुस आये आवाज होने पर वह और तहमीम फात्मा जाग गये । उसने बदमाशों से पूछा तुम कौन हो और घर में क्यों आये हो, बदमाशों ने उससे कहा कि हम चाय पीने आये है। इतने में ऊपर से सजर अब्बास की आवाज आई तो बदमाशों ने कहा कि कोई आ रहा है और घर में भागने लगे तब तक शजर अब्बास नीचे उतर कर आ गये और बदमाशों को ललकारते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश ने कहा कि मुझे पकड़ लिया और दूसरे बदमाश ने शजर अब्बास को गोली मार दी गोली लगने से शजर अब्बास आंगन में गिर गये शोर सुनकर कुछ लोग आ गये और शजर अब्बास को इलाज के लिये अमरोहा ले जा रहे थे तो रास्ते में शजर अब्बास की मृत्यु हो गयी। **घटना की रिपोर्ट हैदर अब्बास ने लिखवाई थी हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर कहा कि यह वही बदमाश है जिन्होंने शजर अब्बास को गोली मारी थी।**

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मेरी उम्र 65 वर्ष से अधिक है । मैं चश्मा लगाती हूॅं। मुझे बहुत कम दिखाई देता है। मुझे चार पांच साल से बहुत कम दिखाई पड़ता है। मेरे तीन बेटे है। हैदर अब्बास, शजर अब्बास मेरे देवर है। मेरे पति का नाम गुलाम हैदर है। मैं अपने पति के साथ अपने देवर हैदर अब्बास व शजर अब्बास एक ही मकान में रहते है। इस मकान का एक ही मुख्यद्वार है। जिस दिन की घटना मैं बता रही है उस दिन की तारीख याद नहीं है। **मैं घटना वाले दिन रात में 10 बजे सोई थी और सुबह अजान के समय 5:00बजे उठी थी।** मैं पांचों वक्त की नमाज बड़ी पावन्दी के साथ पढ़ती हूॅं। शजर अब्बास के पत्नी और बच्चे भी है और हैदर अब्बास के भी पत्नी और बच्चे है। मैं जिस मकान में रहती हूॅं। उस मकान में नीचे मकान व गोदाम है। दो दुकाने है। रिपोर्ट हैदर अब्बास ने करायी थी। मुझे पता नहीं है कि रिपोर्ट कितनी बजे करायी थी और यह भी पता नहीं है कि कितने बजे रिपोर्ट करायी थी। **मेरा दरोगा जी ने बयान जिस दिन की घटना है उसी दिन घर पर आकर मेरा बयान लिया था।**

इस बयान के बाद न ही दरोगा जी मिले और न ही मेरा बयान लिये। पूरा मकान पक्का बनाया गया है। इलाज के लिए शजर अब्बास को मेरा देवर और मेरा भाई ले गया था। शजर अब्बास को जो इलाज के लिए ले गये थे ये गुडडू मेरे घर के बराबर मुहल्ले में रहते है। ये मुझे पता नहीं कि शजर अब्बास को कौन से अस्पताल में ले गये थे, क्योंकि उस दिन मैं अपने घर पर नहीं थी । हैदर अब्बास मेरे सगे देवर है जिन मुल्जिमानों को आज मैंने न्यायालय में पहली बार देखा है ये जेल से आये थे। आज मेरे साथ शजर अब्बास आये है। पंचायत नामें मेरे सामने नहीं भरा गया था। हैदर अब्बास व शजर अब्बास के कमरे पहली मंजिल पर अलग–अलग कमरे है और मैं इसी मकान में नीचे रहती हूॅ और उतरने चढ़ने के लिए जीना है। मेरे तीनों बेटे मेरे साथ रहते है। यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई घटना न घटित हुई हो।

18– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–6 तहमीम फात्मा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि दिनांक 08.12.2017 की रात्रि की घटना है वह और उसके सास बिलकिस फात्मा घर पर थी। वह कमरे के अंदर सो रही थी उसकी सास बिलकिस फात्मा बाहर सो रही थी तथा सजर अब्बास ऊपर सो रहे थे। रात्रि में करीब 2 बजे 3–4 बदमाश घर में घुस आये खटपट की आवाज सुनकर उसकी और सास की आंख खुल गई थी। साक्षी की सास बिलकिस फात्मा ने बदमाशों से कहा कि तुम क्यों आये हो और क्या करने आये हो तो बदमाशों ने कहा कि हम चाय पीने आये है इतने में सजर अब्बास की आवाज आई और बदमाशों ने कहा कि कोई आ रहा है और बुढ़िया जाग रही है यहॉ से भागों और इतना कहकर भागने लगे सजर अब्बास ने एक बदमाश को ललकारते हुए व पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने शजर अब्बास को गोली मार दी और शजर अब्बास वही गिर पड़े और बदमाश भाग गये थे । साक्षी के शोर पर और फायर की आवाज सुनकर कुछ लोग आ गये और घायल अवस्था में शजर अब्बास को इलाज के लिये अमरोहा ले जा रहे थे किन्तु रास्ते में शजर अब्बास की मृत्यु हो गई। इस घटना की रिपोर्ट हैदर अब्बास ने थाना नौगांवा सादात में लिखवाई थी।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि बिलकीम फात्मा मेरी सास है। हैदर अब्बास और शजर अब्बास मेरे ससुर गुलाम हैदर के सगे भाई है। हम सभी लोग एक ही मकान में रहते है। मकान का एक ही मुख्य गेट है। रात में जब सोई थी तब मुख्य दरवाजा का गेट बन्द करके सोई थी। ऊपर जाने के लिए

दरवाजा और सभी प्रकार दरवाजे व खिड़की ठीक प्रकार से बन्द करके सोये थे। घटना दिनांक 08.12.2017 की है। दरोगा जी ने मेरा बयान जिस दिन की घटना है उसी दिन मेरा बयान मेरे घर पर आकर लिया था। इसके बाद दरोगा जी न मुझे मिले और न ही मेरा कोई बयान लिये थे। शजर अब्बास की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गयी थी। मुझे यह पता नहीं कि शजर अब्बास को अस्पताल कौन–कौन ले गये थे। शायद मुहल्ले वाले और लोग है जिसके नाम मैं नहीं जानती हूँ। मुझे यह नहीं पता कि थाने रिपोर्ट के लिए कौन–कौन रिपोर्ट करके वापस आये थे। मुझे पता है कि शजर अब्बास पैन्ट शर्ट पहने हुए थे किस रंग की थी। इस समय ध्यान नहीं है। मेरी शादी वर्ष 2009 हुई थी। शजर अब्बास के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे । गोली का निशान शरीर के किस तरफ था यह ध्यान नहीं है। शजर अब्बास की शादी हो गयी थी। दो लड़के और दो लड़किया है। कुल चार बच्चे थे।

19– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक लोकेन्द्र कुमार त्यागी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि दिनांक 24.12.2017 को वह थाना नौगांवा सादात में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन वह थानाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह व अन्य पुलिस बल के साथ हवालात में बंद अभियुक्तगण जाकिर, नाजिम, राशिद, आरिफ, मुशारिक को सरकारी गाड़ी में बैठाकर बउम्मीद बरामदगी घटना में प्रयुक्त गाड़ी बुलेरो पिकप यू0पी0 11 सी0ए00731 सम्बन्धित अ0सं0 492 सन 2017 धारा302 भा0. दं0सं0 अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान मौ0 इस्लामनगर अमरोहा बताये गये स्थान पर आये तथा गली में खाली स्थान पर अभियुक्त जाकिर ने गाड़ी को रूकवाकर खाली स्थान में खड़ी बुलेरो पिकप यू0पी0 11 सी0ए0 0731 की ओर इशारा करके बताया कि यह वही गाडी है जिससे नौगांवा कस्बे के बुद्ध बाजार में मकान मे ंचोरी करने के लिये हम लोग बैठकर आये थे और वापस इसी में बैठकर भागे थे। बरामद वाहन को समय 4.45 बजे कब्जे में लिया गया । बरामद गाड़ी की फर्द टार्च की रोशनी में तैयार की गयी। फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया।

20– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–8 एस0आई0 संजीव कुमार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि हमराह फर्द बरामदगी का गवाह है। दिनांक 24.12.2017 को थाना नौगांवा सादात में मूढ़ाखेड़ा चौकी पर चौकी इंचार्ज के पर पर तैनात था । उस दिन साक्षी, थानाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह, एस0एस0आई0 सुरेन्द्र सिंह, एस0आई देवेन्द्र कुमार ,एस0आई0 लोकेन्द्र

कुमार मय का0 विनोद कुमार व का0 चालक सतीश गुमार व गजरौला के उप. निरीक्षक रामप्रकाश शर्मा उपनिरीक्षक विनोद कुमार त्यागी व का0 चालक जयपाल मय जीप सरकारी व थाना नौगांवा सादात के हवालात मर्दाना में बन्द अभियुक्तगण जाकिर, नाजिम, मौ0 राशिद, मौ0 आरिफ, मुशारिक को साथ लेकर बहवाले रपट नं0 8 समय 3:45 बजे रवाना होकर बाउम्मीद बरामदगी अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान मौहल्ला इस्लामनगर थाना अमरोहा नगर क्षेत्र में आये गली में खाली स्थान पर अभियुक्त जाकिर ने गाड़ी को रूकवाकर खाली स्थान में खड़ी बोलेरो पीकप सी0पी0सी0 यू0पी0 11 सी0ए0 0731 की ओर इशारा करके बताया कि यह वही गाड़ी है जिससे नौगांवा सादात कस्बे में बुद्ध बाजार में मकान में चोरी करने के लिए दिनांक 08.12.2017 को बैठकर आये थे और घटना के बाद इसी बाड़ी में बैठकर भागे थे। गाड़ी बोलेरो पीकप को समय 4.35 बजे कब्जे में लिया गया। बरामद गाड़ी की फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में बनायी गयी थी। हम सबको पढकर सुनायी गयी थी व हमारे हस्ताक्षर बनवाये गये थे। फर्द साक्षी के सामने पत्रावली पर मौजूद है जिस पर साक्षी है हस्ताक्षर है। फर्द पर पूर्व में प्रदर्श डाला जा चुका है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि बोलेरो गाड़ी का इंजन नम्बर व गाड़ी न0, चैसिस नम्बर याद नहीं है। जहॉ से गाड़ी बरामद हुई थी उसके पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण में क्या है ये मुझे नहीं पता। बरामदगी स्थल पर करीब दो ढाई घंटे रहे। कोई जनता का गवाह नहीं मिला। थाने में विवेचक ने मेरा बयान लिया था और बरामदगी में भी विवेचक मेरे साथ थे। थाने में बरामदगी स्थल के लिए सुबह 3.45 बजे रवाना हुए थे। फर्द विवेचक ने बनाई थी। गाड़ी आज मेरे सामने नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिम ने कोई बोलेरो गाड़ी बरामद ना कराई हो और यह कहना भी गलत है कि समस्त लिखा पढ़ी थाने पर बैठकर की हो।

21– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–9 हैडमोहर्रिर वीरेन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 8.12. 2017 को साक्षी थाना नौगांवा सादात में हेडमोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन वादी की तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सं0 492 सन 2017 धारा 302 भा0दं0सं0 तैयार कराना कहा जिसका खुलासा जी0डी0 में किया था चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 एवं जी0डी0 की प्रति को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वादी तहरीर लेकर रात के समय आया था। तहरीर कितने बजे टाईप करायी थी। समय मुझे ध्यान नहीं है। मैंने टाईप होने के बाद एफ0आई0आर0 पर हस्ताक्षर किये थे या नहीं ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मुख्य परीक्षा में सही समय ना बताया हो।

22– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–10 रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 08.12.2017 को वह थाना नौगांवा सादात में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने अ0सं0 492 सन 2017 धारा 302 बनाम अज्ञात की विवेचना ग्रहण करने के उपरांत नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी अंकित किये तथा वादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया नक्शा नजरी पत्रावली पर मौजूद है जो साक्षी के लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। उसी दिन साक्षी द्वारा बयान संदिग्ध नसीम, शाहबुददीन, तनजीम हैदर, महमूद असगर अंकित किये गये। दिनांक 09.12.2017 को मृतक शजर अब्बास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की तथा नकल केस डायरी की । उसी दिन बयान संदिग्ध शब्बूर उर्फ शबुआ के बयान अंकित किये । दिनांक 10.12.17 को बयान संदिग्ध इन्तजाम व यामीन अंकित किये तथा दिनांक 11.12.2017 को बयान संदिग्ध राजा व शानू के बयान अंकित किये । दिनांक 16.12.2017 को बयान कांस्टेबिल अफसार अली होमगार्ड संजय कुमार अंकित किये। इन लोगों ने मृतक का पी0एम0आर0 कराया था। दिनांक 20.12.2017 को बयान संदिग्ध शहनवाज अंकित किये। दिनांक 24.12.2017 को अ0सं0 504 सन 2017 धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 में पकडे. गये अभियुक्तगण जाकिर उर्फ कल्लू, मुशारिक, नाजिम, साजिद, राशिद से पूछताछ की गयी तो उन्होंने घटना में शामिल होना बताया कि 15 दिन पहले नौगांवा सादात में मुशारिक की पिकअप गाड़ी लेकर आये थे औार मुशारिक को गाड़ी पर छोड़कर बुद्घ बाजार में हम खाली मैदान के सामने एक मकान में चोरी करने के लिए घुसे थे। जाकिर सड़क छोड़कर छोटे दरवाजे के सामने रखवाली को खड़ा हो गया था व राशिद अन्दर वाले गेट पर खड़ा हो गया था। नाजिम व साजिद मकान के अन्दर गये थे। मकान में एक बुढ़िया जाग रही थी उसने कारण पूछा था इतने में किसी के आने की आहट सुनायी दी थी उस पर राशिद ने घर के अन्दर मौजूद आदमी को गोली मार दी थी औार उसके बाद हम सभी लोग मुशारिक की गाड़ी से जाकिर के घर जाकर रूके थे औार वह गाडत्री जाकिर के घर खड़ी है जिसे

हम बरामद करा सकते है। इसके अलावा जाकिर व राशिद ने बताया कि सात महीने पहले हम दोनों ने अपने साथी साजिद व प्यारो उर्फ महबूब के साथ् मिलकर एक ही ई–रिक्शा किराये के लिए बुक कराया अैार अमरोहा से 3–4 किलोमीटर दूर धनौरा रोड पर ई–रिक्शा चालक की हत्या करके ई–रिक्शा लूट लिया था, जिसको प्यारो जाकिर ने कही बेचा था। हमारे हिस्से में इसकी बिक्री के 5000–5000/–रूपये आये थे जो हमने खर्च कर लिये है। इसके साथ् ही जाकिर व राशिद ने अपने साथी साजिद व प्यारो उर्फ महबूब के साथ मिलकर एक ई–रिक्शा अतरासी पुल के नीचे से चालक को घायल करके लूटा था तथा उसकी बिक्री के 10,000/–रूपये दिये थे। जिसमें कुछ रूपये खर्च हो गये अैार 4000ध्–रूपये बचे है जो जाकिर के घर मौहल्ला इस्लाम नगर में रखे है। इसके अलावा एक महिला की चौन लूटने व एक घर में चोरी करने व एक दुकान में दीवार काटकर टाईस की चोरी करने आदि कई घटनाए कबूल की अैार मैं उसी दिन अभियुक्तगण जाकिर, नाजिम, मुशारिक, राशिद को साथ लेकर बाउम्मीद बरामदगी घटना में प्रयुक्त पिकप गाड़ी समय 03.45 बजे अभियुक्तगण की निशानदेही पर ही मौहल्ला ईस्लामनगर में गया । अभियुक्तगण ने मौहल्ले में गली में जाकिर के मकान के पास खाली स्थान में खड़ी गाड़ी बुलैरो पिकप की अेार इशारा करके बताया कि यह वही गाड़ी है जिससे नौगांवा सादात कस्बे में बुद्घबाजार में मकान में चोरी करने के लिए सब लोग बैठकर आये थे। गाड़ी को कस्बे में लिया गया तथा फर्द बरामदगी मौके पर टार्च की रोशनी पर बनायी गयी थी। फर्द पत्रावली में मौजूद है। जिसपर साक्षी के हस्ताक्षर है। गाड़ी पिकअप के घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया नक्शा नजरी पत्रावली पर मौजूद है जिसपर प्रदर्श क–8 डाला गया । दिनांक 02.02.2018 को अभियुक्त साजिद की गिरफृतारी हेतु दबिश दी गयी, नहीं मिला। दिनांक 20.02.2018 को अभियुक्त साजिद को गिरफृतार किया गया। बयान अंकित किये गये जिसमे उसने जुर्म का इकबाल किया। गवाहों के बयान अंकित किये। सम्पूर्ण् विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण नाजिम, राशिद, जाकिर, मुशारिक, साजिद के विरूद्घ धारा 452,34,302 भा0द0सं0 का आरोप पत्र प्रेषित किया गया । आरोप पत्र पर प्रदर्श क–9 डाला गया। दिनांक 8.12.2017 को साक्षी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना स्थल के पास से एक जोड़ी चप्पल प्लासिटक की जिन पर ऊपर हरे व काले रंग की पटटी लगी थी। चप्पल वारदात करने वालों बदमाशों की थी। बरामद हुई जिसकी फर्द मौके पर बनायी गयी थी। फर्द पर साक्षी के हस्ताक्षर है जिसपर प्रदर्श् क–10 डाला गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि अभियोग मेरी मौजूदगी में कायम हुआ था। धारा 302 भा0दं0सं0 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व दर्ज हुआ था। विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी। केस डायरी देखकर बताया कि दिनांक 24.12.2017 से पहले किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नही ंआया बिलकिस फात्मा व तहमीम के बयान दिनांक 13.03.2018 को में दर्ज किये। इन दोनों के बयान इनके आवास पर लिये थे। इन दोनों साक्षीगण बिलकिस फात्मा व तहमीम फात्मा ने अज्ञात बदमाशों का कोई हुलिया रूप रंग ढाल कद काठी के बारे में नहीं बताया था और पहचान जाने का कोई विशेष व साधारण चिन्ह नहीं बताया था। उनके द्वारा किस इलाके की भाषा बाले रहे थे ये भी नहीं बताया था। अ0सं0 504/2017 धारा 147, 148,149, 307 भा0दं0सं0 मेरे थाने में पंजीकृत हुआ था और मैं ही इसका वादी था। अ0सं0 504/2017 को मेरे द्वारा कथित घटना किस तारीख दिनांक समय की है मुझे ध्यान नहीं है। केस डायरी देखकर बताया कि अ0सं0 504/17 अभियुक्तगण नाजिम, आरिफ, राशिद, जाकिर, मुशारिक, साजिद व प्यारों थे और मैं इनके जो बयान बता रहा हूॅं व थाने में पुलिस अभिरक्षा के है। ये बयान मैंने पुलिस वालों के सामने लिया था। मुल्जिमान का डिसक्लोजर स्टेटमेन्ट किसी जन साक्षी के सामने अंकित नहीं किया था। बुलैरो गाड़ी की बरामदगी का इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर व माडल याद नहीं है। गाड़ी नम्बर याद है। गाड़ी आज मेरे सामने नहीं है। इस गाड़ी के बरामदगी में थाने से रवाना हुए थे। बरामदगी के समय सभी पुलिस वाले थे। यह कहना सही है कि बरामदगी के लिए थाने से रवाना होना वापसी होने का कोई भी पुलिस प्रपत्र पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने जो आरोप पत्र प्रेषित किया है वह मेरे द्वारा अभियुक्तों के लिए गये बयान व वाहन की बरामदगी के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया है। पंजीकृत स्वामी बुलैरो पिकप के बारे में जानकारी नहीं है। पंचायतनामा मेरे द्वारा नहीं भरा गया। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा जो विवेचना की जाती है उसका परीक्षण क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाता है। यह कहना भी सही है कि प्रत्येक पर्चे पर परीक्षण करने के बाद प्रत्येक पर्चे के बांयी तरफ लाल पेन से संक्षिप्त विवरण लिखते है। केस डायरी पर लिखे बांयी तरफ लाल पेन से हासिये में लाल पेन से लिखे हुए शब्दो के विषय में मैं नही बता सकता कि किसी हस्तलेख में है। यह कहना सही है कि प्रत्येक पर्चे पर सी0ओ0 साहब के सुक्ष्म हस्ताक्षर है। पंचायतनामें के साक्षीगण के बयान मैंने लिये थे। ये पंचायतनामें के साक्षीगण के बयान थाने में लिये थे। पंचायतनामे की कार्यवाही मेरी मौजूदगी

में नहीं हुई थी। बुलेरो पिकप गाड़ी की बरामदगी खुले स्थान पर दिखायी है। इस बरामदगी स्थल के उत्तर पूर्व पश्चिम क्या था मुझे ध्यान नहीं है। बरामदगी के गवाह सभी पुलिस कर्मी थी और मेरे ही थाने में तैनात थे। मेरे ही अधीनस्थ थे । बरामदगी हेतु रवानगी करने के बाद कोई जन साक्षी नहीं लिया था। चप्पल आज मेरे सामने नहीं है। चप्पल किसकी थी ये नहीं पता। यह कहना गलत है कि मैंने किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं की । यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों ने कोई बयान नहीं दिया । मैंने झूठा बयान लिखकर आरोप पत्र प्रेषित किया हो। यह कहना गलत है कि सारी लिखा पढ़ी थाने पर बैठकर की हो। यह कहना भी गलत है कि झूठी फर्जी साक्ष्य संकलित कर मुल्जिमान को झूठा फसाने के लिए झूठी फर्जी बरामदगी दिखायी हो। यह कहना भी गलत है कि अभियोजन साक्ष्य को बल देने के उद्देश्य से केस को वर्क आउट करने हेतु फर्जी झूठी वाहन बुलेरो पिकप की बरामदगी दिखायी हो। जिसकी फर्द तैयार की थी फर्द को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया ।

23– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 23.12.2017 को मै थाना नौगावा सादात में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन मै प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह उपनिरीक्षक संत कुमार उपनिरीक्षक ताजवर सिंह व कां. सतीश चन्द्र कां. अमित कुमार कां. विनोद कां. मोनू कुमार के साथ सरकारी गाडी मय चालक आबिद कुमार के थाना नौगावा सादात से रपट नं० 35 समय 20.25 बजे रवाना होकर धनौरा रोड पर जाजरू पुल के पास चौंकिग कर रहे थे तभी कुछ समय पश्चात धनौरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल व उसके पीछे एक कार आती दिखायी दी जिन्हे टार्च की रोशनी डालते हुए रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल चालक ने एकदम से कहा कि पुलिस है गोली मारो तभी मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति ने एकदम हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से तमचें से फायर किया जिससे हम लोग बाल बाल बच गये। मोटरसाइकिल चालक जाजरू पुल से होते हुए बोराबोरी की तरफ भगा ले गया तभी पीछे आ रही कार चालक ने कार को पीछे मोडकर भगाने का प्रयास किया एवं कार में बैठे व्यक्तियो ने हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से दो तीन फायर किये जिससे हम लोग बाल बाल बच गये। हम पुलिस वालो ने सिखलाये गये तरीके से पोजीशन लेकर अपने सरकारी असलहा से आत्म रक्षा बदमाशो के उपर फायर किये जो कार पर लगे जिससे हडबडाहट में कार सडक किनारे झाडियों में फस गयी तभी हम पुलिस वालो ने साहस का

परिचय देते हुए एवं चेतावनी देते हुए समय करीब 21.00 बजे कार में बैठे पांच व्यक्तियों को सडक किनारे कार में ही पकड लिया एवं उनका नामपता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो एक ने अपना नाम नाजिम पुत्र मकबूल कुरैशी निवासी मौ० जाफता गंज निकट पुलिस चौकी कस्बा व थाना नजिबाबाद जिला बिजनौर बताया उसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकडा एक तमचां 12 बोर जिसकी नाल को खोलकर देखा तो उसके चौम्बर में एक अदत खोका कारतूस फसां था तमचे का हुलिया मुताबिक फर्द है पैट की बायी जेब से तीन अदद कारतूस जिन्दा बारह बोर जिनका हुलिया मुताबिक फर्द है व दाहिनी जेब से दो सौ दस रूपये नकद एक मोबाइल काला रंग कार्बन कम्पनी का बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम आरिफ पुत्र मौहम्मद नसीम निवासी मौहल्ला तीन नम्बर फाटक जाफता गंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर बताया जिसके दाहिने हाथ में पकडा एक तमचां 315 बोर जिसकी नाल में एक अदद खोका कारतूस फसा था जिसे बाहर निकालकर अलग किया गया व पैट की दाहिनी जेब से तीन अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर तमचा कारतूस का हुलिया मुताबिक फर्द है तथा दाहिनी जेब से 190 रूपया नकद व एक मोबाइल काला रंग माइक्रोमैक्स का बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मौ. राशिद पुत्र अब्दुल निवासी मौ. पठानपुरा कस्बा व थाना नजिबाबाद जिला बिजनौर बताया जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकडा तमचां देशी 315 बोर जिसकी नाल में एक खोका कारतूस फसा था जिसे बाहर निकालकर अलग किया गया तथा पैट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए तमचे व कारतूस का हुलिया मुताबिक फर्द है तथा बायी जेब से 135 रूपये नकद व एक मोबाइल इन्टैक्स कम्पनी का रंग काला बरामद हुआ चौथे व्यक्ति ने अपना नाम जाकिर पुत्र नासिर निवासी दिनौडा थाना नागल जिला बिजनौर हाल निवासी मौहल्ला इस्लामनगर इदगाह के पास कस्बा व थाना अमरोहा जिला अमरोहा बताया जिसकी जामा तलाशी से पहनी पैंट की दाहिनी फैट से एक चाकू नाजायज जिसका हुलिया मुताबिक फर्द है बरामद हुआ व पहनी पैंट की दाहिनी जेब से 165 रूपये नकद व एक मोबाइल सैमसंग कम्पनी का रंग काला बरामद हुआ। कार चालक पांचवे व्यक्ति ने अपना नाम मुशारिक पुत्र अनीस अहमद निवासी मौ० जाफता गंज नई बस्ती कस्बा व थाना नजिबाबाद जिला बिजनौर बताया जिसकी जामा तलाशी से दाहिनी फैट में घुसा एक अदद चाकू नाजायज जिसका हुलिया मुताबिक फर्द है बरामद हुआ एवं बायी जेब से 217रूपये नकद बरामद हुआ। एक मारुती कार 800 नम्बर डी. एल. 4 सी.एल. 1949 बरामद हुयी। कार की डिग्गी को खोलकर चैक किया गया तो एक

प्लास्टिक के थैले से एक प्लास एक सढासी एक लोहे का हथौडा जिस पर लकडी का बैटा लगा है बरामद हुए कार डिग्गी में पडा एक अदद लोहे का सब्बल जिसका एक सिरा चपटा है बरामद हुआ सभी तमचें चालू हालत मे थे। तमचो को खोलकर सूधा तो ताजे चले बारूद की गंध आ रही थी पकडे गये अभियुक्तों से मोटरसाइकिल से भागे गये बदमाशो के नाम पूछे तो एक का नाम साजिद पुत्र जाहिद निवासी मौ जाफता गंज कस्बा व थाना नजिबाबाद जिला बिजनौर व दूसरे का नाम प्यारो उर्फ महबूब पुत्र अहमद हसन निवासी कुआ खेडा थाना बछरायू जिला अमरोहा बताया अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 147,148,149,307 भा.द.सं. व 25 आर्मस एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया बरामदा तमचा कारतूस व खोका कारतूसो व चाकू को कब्जे पुलिस में लेकर बरामदगी अनुसार अलग अलग पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बो में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया व बरामदा प्लास गढासी व हथौडी को उसी प्लास्टिक के थैले में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया सब्बल को चिटबन्दी की गयी सभी के अलग अलग नमूने मोहर तैयार किये गये बरामदा जामा तलाशी से नकदी व मोबाइलो की बरामदगी अनुसार अलग अलग चिटबन्दी कर अलग अलग प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सील सर्वे मोहर बनाये गये। तथा पुलिस द्वारा चलाये गये खोका कारतूसों को तलाश करके अलग कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। दौराने गिरफतारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व निर्देशों का पालन किया गया। व जनता के गवाहन फराहम करने का प्रयास किया गया जो उपलब्ध नहीं हो सके। अभियुक्त गण से तमचे कारतूस चाकू सब्बल आदि रखने का कारण पूछा तो बताया कि हम सब लोग घुमफिरकर मकान व दुकान आदि में चोरी करते है आज भी हम किसी काम की तलाश में नौगावा जा रहे थे कि आपने पकड लिया फर्द प्रभारी निरीक्षक द्वारा बोल बोल कर उपनिरीक्षक तालेवर सिंह से तैयार करायी गयी तथा फर्द का मजनून हमराही गण को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये फर्द पर मैने भी हस्ताक्षर किये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त आरिफ को देकर सभी के अलामात बनवाये गये थे इसके बाद सभी अभियुक्तगण व माल को लेकर थाने आये एवं थाने पर प्रभारी निरीक्ष क द्वारा सभी अभियुक्तो के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तथा प्रभारी निरीक्षक व वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह द्वारा सभी अभियुक्तगणो से विस्तृत पूछताछ की गयी थी पूछताछ के दौरान सभी अभियुक्तो ने उक्त घटना का इकबाल करते हुए घटना में प्रयुक्त पिकप गाडी की बरामदगी हेतु बताया गया था जिसका तस्करा प्रभारी

निरीक्षक द्वारा दर्ज कराया गया था तथा उक्त घटना में प्रयुक्त पिकप गाडी की बरामदगी हेतु सभी अभियुक्तो को हवालात मर्दाना से निकालकर हथकडी रस्सा लगाकर दिनांक २४.१२.१७ को रपट नम्बर 8 समय 03.45 बजे प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, सुरेन्द्र सिंह उपनिरीक्षक लोकेन्द्र कुमार उपनिरीक्षक संजीव कुमार कां. विनोद कुमार कां चालक सतीश कुमार के मय गाडी सरकारी व थाना गजरौला के उपनिरीक्षक रामप्रकाश शर्मा व विनोद कुमार त्यागी व कां. चालक जगपाल सिंह मय सरकारी गाडी के रवाना होकर मौ इस्लाम नगर अमरोहा आये गली में खाली स्थान पर अभियुक्त जाकिर ने गाडी को रुकवाकर खाली स्थान में खडी बुलैरो पिकअप की ओर इशारा करके बताया कि यह वही गाडी है जिससे नौगावा कस्बे में बुद्ध बाजार मे मकान में चोरी करने के लिए हम लोग बैठकर आये थे। जिसे समय 04.45 बजे पुलिस कब्जे में लिया गया। जिसकी फर्द मौके पर तैयार की गयी थी। दिनांक 08.12.2017 को मै रविन्द्र प्रताप के साथ घटना स्थल पर गया था घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान बदमाशों की एक जोडी चप्पल प्लास्टिक की बरामद हुयी। जिसका हुलिया मुताबिक फर्द है जिनको कब्जे पुलिस में लिया गया जिनको प्लास्टिक के थैले में रखकर चिटबन्दी की गयी। फर्द मौके पर तैयार की गयी। पुछताछ के दौरान अभियुक्त राशिद ने बताया कि मैंने अपने को छुटाने के लिए जो तमचां मुझसे बरामद हुआ है इसी से मैंने उस दिन उस आदमी को गोली मारी थी मुझे यह नहीं मालूम की वह जिन्दा है या मर गया। अभियुक्त राशिद व अन्य अभियुक्त से बरामद माल की फर्द तैयार की थी फर्द सत्र परीक्षण संख्या 99ध18 की पत्रावली में मौजूद है अभियुक्त राशिद के विरूद्ध रविन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा मय हमराही टीम के साथ अभियुक्त गण को गिरफतार कर थाना नौगावा सादात में राशिद व अन्य अभियुक्तगणों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था अभियुक्त राशिद से बरामद माल की फर्द पर पूर्व में प्रदर्श क १ डाला गया था जो सत्र परीक्षण संख्या 99ध18 की पत्रावली पर मौजूद है। आज न्यायालय के समक्ष एक पारदर्शी डिब्बा की सील खोली गयी जिस पर मु.अ.सं. 507ध17 धारा 25 आर्मस एक्ट बनाम राशिद का टेप चस्पा है पारदर्शी डि. ब्बे पर वस्तु प्रदर्श–1 एवं डिब्बे में मौजूद तमचा 315 बोर पर वस्तु प्रदर्श–2 व जिन्दा कारतूस 315 बोर पर वस्तु प्रदर्श 3 व खोका कारतूस 315 बोर पर वस्तु प्रदर्श 4 डाला गया। तमचा व कारतूस अभियुक्त राशिद के कब्जे से बरामद हुआ था।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि अ.सं. 492/17 की प्रथम सूचना

रिर्पोट अज्ञात में पंजीकृत हुयी थी। अ.सं. 492/17 के विवेचक महोदय थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह थे। अ.सं. 492/17 की प्रथम सूचना रिर्पोट 08.12.2017 में पंजीकृत हुयी थी। समय का ध्यान नहीं है। अ.सं. 504/17 धारा 147,148,149,307 भा.द.सं. के वादी भी थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह थे। अ.सं. 504/17 की घटना 21.०० बजे की है तारीख 23.12.2017 की है। अ.सं. 504/17 की प्रथम सूचना रिर्पोट 24.12.17 को 00.39 बजे पंजीकृत हुयी थी। थाने से हम 20.25 बजे रवाना हुए थे। माल तमचा कारतूस सील करने के बाद फर्द बनाने में एक ढेड घंटा लग गया होगा। अ.सं. 504/17 के घटना स्थल पर करीब सवा तीन घटे के आसपास रहा हूँ। जब फायर हुआ तो हम सब पुलिस वाले अलग अलग वाहनो की चौकिंग कर रहे थे सब एक जगह नहीं थे। मैंने बहुत वाहनो की चौंकिग की लेकिन उनके नम्बर मुझे याद नहीं हैं। मेरे एवं मुल्जिमानो के बीच में कोई आड नही थी। मुल्जिमान द्वारा किया गया फायर ना तो हमे लगा एवं कहां लगा हमें पता नहीं। हम सभी पुलिस वालों के पास अपने अपने हथियार थे। हम पुलिस वालों ने दो तीन फायर किये थे। मेरे द्वारा किया गया फायर मुल्जिमान के गाडी में लगे थे मारूती 8०० थी नम्बर डी.एल. करके था पुरा नम्बर मुझे याद नहीं है। घटना काफी पुरानी हो गयी इसलिए नम्बर याद नहीं है। मारूती कार आज मेरे सामने न्यायालय में नहीं है। मारूती कार से जो सामान सब्बल प्लास आदि बरामद होना बता रहा हूँ आज मेरे सामने नहीं है। जो मैं मुल्जिमानो से तमचा कारतूस चाकू बरामद होना बता रहा हूँ उनमे से सिर्फ एक तमचां आज मेरे सामने है ये तमचां राशिद से बरामद हुआ था। बुलेरो गाडी 24.12.17 तारिख में मौ. इस्लामनगर अमरोहा में बरामद की थी। इस बोलेरो गाडी का माडल नम्बर व रजिस्ट्रेशन नम्बर ध्यान नहीं है। ये भी इसलिए याद नहीं है क्योकि समय पुराना हो गया। जो तमचां राशिद से बरामद होना बता रहा हूँ उसकी मुड पर दो पेच थे साक्षी को तमचां दिखाया गया तो उसकी मुड पर एक पेच थे। कारतूसों का पूरा विवरण फर्द में उल्लेख किया था। कारतूस की पेदी पर के. एफ. 8 एम.एम. लिखा हुआ था। फर्द अ.सं. 504/17 प्रभारी निरीक्षक ने उपनिरीक्षक ताजवर सिंह को बोल बोल कर तैयार करवायी थी। ताजबर सिंह ने फर्द गाडी के बोनट पर लिखी थी। सामान के नाम पर हम सभी पुलिस वालों पर अपने अपने हथियार थे। फर्द पुरी होने के बाद ही हमने सभी साक्षीगण के हस्ताक्षर कराये थे। जहां पर साक्षीगण के हस्ताक्षर उससे पहले अन्तिम पक्ति में अन्तर्गत सीज की कार्यवाही की गयी। फर्द में अन्तिम पक्ति से पूर्व यह लिखा है कि गवाहन गवाही के हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। अ०सं०504/17 के विवेचक भी हमारे पुलिस थाने में तैनात थे

जो वादी रविन्द्र प्रताप सिंह के अधिनस्थ थे। यह कहना गलत है कि इन मुल्जिमानो से कोई हथियार या सामान बरामद ना हुआ हो यह कहना भी गलत है कि एवेसी कोइ घटना कारित ना हुयी हो जैसा में बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगणो के निशा देही पर बुलैरो कार बरामद ना हुयी हो।

24— अभियोजन/राज्य की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घटना दिनांक 08.12.2017 समय करीब 02.00 बजे स्थान मौ0 बुद्धबाजार नौगांवा सादात थाना नौगांवा सादात जिला अमरोहा में अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के भाई शजर अब्बास के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर शजर अब्बास को तमंचे से गोली कर दी जिससे उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गये। तथ्य के सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया औपचारिक साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है । अभियोजन ने सम्पूर्ण कथानक को सन्देह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाए।

25— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा हैदर अब्बास द्वारा थाना नौगांवा सादात पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यह कहते हुए दर्ज करायी गयी कि दिनांक 08.12.2017 को रात्रि के समय करीब 2 बजे घर के अन्दर तीन—चार बदमाश घुस आये। घर में जाग हो गयी उसका भाई शजर अब्बास उम्र करीब 50 वर्ष अपने कमरे से नीचे उतरकर आये तो बदमाशों ने शजर अब्बास को गोली मार दी जिसको इलाज के लिये अमरोहा ले जाते समय मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कुल 11 गवाह परीक्षित कराये गये है जिनमें तथ्य के साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है तथा अन्य साक्षीगण द्वारा औपचारिक प्रपत्रों को साबित किया है। सभी औपचारिक साक्षीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो घटना को सन्देह से परे साबित करता हो। सभी औपचारिक साक्षीगण अधीनस्थ थे, केवल कारगुजारी दिखाने के उद्देश्य से अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। घटना संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाए। बचाव पक्ष की ओर से लिखित बहस भी दाखिल की गयी है।

26— उपरोक्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली का परिशीलन किया ।

प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम

सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है और विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने का कोई समुचित व सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखाये जाने के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा व गवाहान द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान व विवेचक द्वारा लिये गये बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। घटना के सम्बन्ध में वादी की ओर से जो मौखिक बयान दिया गया है वह अपने आप में विरोधाभासी है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा जिस प्रकार से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दी गयी है उसके आधार पर घटना का समर्थन नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाए।

27— अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा द्वारा जो तहरीर दिनांक 08.12.2017 को थाना नौगांवा सादात पर दी गयी उसमें घटना दिनांक 08.12.2017 को रात्रि 02.00 बजे दर्शित की गयी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.12.2017 को समय 04.30 बजे पंजीकृत की गयी है। थाने से घटना की स्थल की दूरी 1.5 किलोमीटर दर्शित की गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह दर्शित किया गया कि दिनांक 08.12.2017 की रात्रि के समय करीब 2 बजे घर के अन्दर तीन चार बदमाश घुस आये घर में जाग हो गयी वाद का भाई शजर अब्बास अपने कमरे से नीचे उतरकर आये तो बदमाशों ने शजर अब्बास को गोली मार दी जिसको इलाज के लिए अमरोहा ले जाते समय मृत्यु हो गयी। चूँकि मृतक की रास्ते में मृत्यु हो गयी तथा उसकी मृत्यु की सूचना थाने पर देने एवं उसका पंचायतनामा भरने की कार्यवाही आदि में जो समय लगा है उसके पश्चात थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना नहीं कहा जायेगा बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना विलम्ब के लिखाई गयी है।

28— उभय पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा द्वारा जो तहरीर दिनांक 08.12.2017 को थाना नौगांवा सादात पर दी गयी उसमें घटना दिनांक 08.12.2017 को रात्रि 02. 00 बजे दर्शित की गयी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.12.2017 को समय 04.30 बजे पंजीकृत की गयी है। थाने से घटना की स्थल की दूरी 1.5 किलोमीटर दर्शित की गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह दर्शित किया गया कि दिनांक

08.12.2017 की रात्रि के समय करीब 2 बजे घर के अन्दर तीन चार बदमाश घुस आये घर में जाग हो गयी वाद का भाई शजर अब्बास अपने कमरे से नीचे उतरकर आये तो बदमाशों ने शजर अब्बास को गोली मार दी जिसको इलाज के लिए अमरोहा ले जाते समय मृत्यु हो गयी। चूँकि मृतक की रास्ते में मृत्यु हो गयी तथा उसकी मृत्यु की सूचना थाने पर देने एवं उसका पंचायतनामा भरने की कार्यवाही आदि में जो समय लगा है उसके पश्चात थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना नहीं कहा जायेगा बल्कि प्रथम सूचना रिपेार्ट बिना विलम्ब के लिखाई गयी है। जिसका युक्ति युक्त सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया है। अतः उपरोक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नही पाता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी नहीं है।

29– इसी सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2016(10)एस0सी0 सी0 537** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि–The FIR is not the encyclopedia of all the facts relating to crime. The only requirement is that at the time of lodging FIR the informant should State all those facts which normally strike to mind and help in assessing the gravity of the crime or identity of the culprit. इस प्रकार परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट देरी से लिखवाये जाने के सम्बन्ध में संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है और देरी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी रिर्पोट लिखाये जाने का कोई कारण अथवा आधार स्पष्ट नहीं होता है। इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाएं दी गई है। **रविन्द्र मेहतो बनाम झारखंड राज्य 2006(54) पेज 543 सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखाये जाने का स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा दिया गया हो और देरी के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट में झूंठे कथन किये जाने का कोई आधार न पाया गया हो तो मात्र देरी के आधार पर न तो केस की सत्यता के सम्बन्ध में कोई संदेह किया जा सकता है और न ही इस आधार पर अभियोजन के केस को अस्वीकार किया जा सकता है। **बलवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 एस0सी0सी0 क्रिमिनल 951** के मामले में बीस घंटे का विलम्ब प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराने में हो गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि यह विलम्ब कोई प्रतिकूल प्रभाव

अभियोजन केस पर नहीं पडता है। प्रश्नगत मामले में उपरोक्त विधि व्यवस्था पूर्णरूप से लागू होती है। पत्रावली पर आये साक्ष्य एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित कराने में जो भी विलम्ब हुआ है,वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार हुआ है। जिसका युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया है।

30— अतः उपरोक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नही पाता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी नहीं है। जबकि पत्रावली पर आये साक्ष्य एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित कराने में जो भी विलम्ब हुआ है वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब कारित हुआ है, जिसका युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया है।

31— उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 149, 452, भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया है । अब यह देखना है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं। इसके लिए विभिन्न **अवधार्य बिन्दु** का निर्धारित किया जाना आवश्यक है—

1— क्या अभियुक्तगण के पास कथित दिनांक, समय व स्थान पर मृतक शजर अब्बास की घर में घुसकर चोरी व लूटपाट करने के उद्देश्य से हत्या कारित करने का हेतुक विद्यमान था ?

2— क्या कथित घटना के दिनांक व स्थान पर अभियुक्तगण ने मिलकर मृतक शजर अब्बास के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर चोरी व लूटपाट करने के आशय से मृतक शजर अब्बास की गोली मारकर हत्या कारित की।

3— क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा आलाकत्ल तमंचे से मृतक की हत्या कारित की गयी है तथा आला कत्ल तमंचे/आग्नेयास्त्र से आयी चोटों को चिकित्सीय व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है?

4—क्या अभियोजन पक्ष घटना के सम्बन्ध में श्रृंखलाबद्ध तरीके से साशय हत्या के आरोप को अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

<u>32–अवधार्य बिन्दु सं.0–1</u>

अवधार्य बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या अभियुक्तगण के पास कथित दिनांक, समय व स्थान पर मृतक शजर अब्बास की घर में घुसकर चोरी व लूटपाट करने के उद्देश्य से हत्या कारित करने का हेतुक विद्यमान था ?**

33– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकरण में घटना व हत्या के सम्बन्ध में जो साक्षीगण बनाये गये है उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन हितबद्व साक्षी होने के कारण किया गया है। अब यह प्रश्न उठाता है कि मृतक शजर अब्बास की हत्या करने का क्या उद्देश्य या मोटिव था यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से अपनी बहस में यह भी तर्क दिया गया कि घटना के सम्बन्ध में हत्या का कोई हेतुक भी सिद्ध नही है–क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामजद नहीं है तथा दिनांक 08.12.2017 की रात्रि समय करीब 2 बजे घर के अन्दर तीन चार बदमाश घुस आये घर में जाग होने पर शजर अब्बास अपने कमरे से नीचे उतरकर आये तो बदमाशों ने शजर अब्बास के गोली मार दी। इस प्रकार पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियुत्तगण के विरूद्ध मृतक की हत्या करने का कोई हेतुक सन्देह से परे साबित नही है।

इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि मृतक की हत्या कारित करने का हेतूक पूर्णतया विद्यमान है क्योंकि अभियुक्तगण मृतक के घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से आये होगें और जाग होने पर विरोध स्वरूप बदमाशों/अभियक्तगण ने शजर अब्बास को गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसलिये हत्या का हेतूक घर में घुसकर लूटपाट करने एवं विरोध करने पर गोली मारना स्पष्ट हो रहा है।

34– उपरोक्त तर्को के विश्लेषण के आधार पर अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से व बचाव पक्ष की ओर से दिये गये तर्क व तथ्यों से यह उजागर होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कथित अभियुक्तगण द्वारा ही घटना कारित की गयी है और अभियुक्तगण के पास ही कथित घटना कारित करने के हेतुक विद्यमान था।

<u>35–अवधार्य बिन्दु संख्या–2 व 3 :–</u>

अवधार्य बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या कथित घटना के दिनांक व स्थान पर अभियुक्तगण ने मिलकर मृतक शजर अब्बास के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर चोरी व लूटपाट करने**

के आशय से मृतक शजर अब्बास की गोली मारकर हत्या कारित की।

अवधार्य बिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा आलाकत्ल तमंचे से मृतक की हत्या कारित की गयी है तथा आला कत्ल तमंचे/आर्ग्नेयास्त्र से आयी चोटों को चिकित्सीय व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है?**

36– उपरोक्त दोनों अवधार्य बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित है तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों अवधार्य बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

अभियोजन की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा भाई शजर अब्बास को घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से आना और जाग होने पर विरोध स्वरूप बदमाशों/अभियक्तगण ने शजर अब्बास को गोली मारकर हत्या कारित की गयी, जिसको अभियोजन साक्षीगण के द्वारा अपने साक्ष्य से साबित किया गया है।

जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि पुलिस के द्वारा फर्जी मुटभेड दिखाकर आला कत्ल तमंचे की बरामदगी दिखाई गयी जोकि फर्जी है। अभियुक्तगण के द्वारा कथित घटना कारित नहीं की गयी है। वादी मुकदमा व अन्य गवाहों द्वारा घटना को साबित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

37– उपरोक्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी वादी मुकदमा हैदर अब्बास पी0डब्लू0–1 को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा उसके भाई शजर अब्बास को गोली मारकर हत्या कारित करना कहा गया है। घटना के कुछ दिन बाद साक्षी के भाई की हत्या करने वाले बदमाश पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये थे जिनकी शिनाख्त साक्षी की भाभी बिलकीस फात्मा द्वारा की गई थी । बदमाश हमारे घर में लूट के इरादे से घुसे थे।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शजर अब्बास मेरे भाई थे । हम दोनों भाई एक ही मकान में अलग–अलग रहते है। यह मकान दो मंजिला है। ऊपरी मंजिल में मैं और शजर अब्बास रहते थे। मेरे मकान में नीचे मंजिल में सिर्फ दुकानें बनी हुई है। ऊपरी मंजिल में मेरे और शजर के कमरे अलग–अलग बने हुए है। हम अपना मकान बन्द करके सोये थे। अपने भाई की मृत्यु की सूचना मैंने दे दी थी। मैंने रिपोर्ट इकराम हैदर से लिखाई थी। जैसा मैंने बोला था वैसा

ही इकराम हैदर ने लिखा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने दरोगा जी को बयान दिया था कि दिनांक 08.12.2017 को रात्रि करीब 2:00बजे तीन–चार बदमाश घुस आये और खटपट की आवाज से जाग हो गई और यह बयान दिया था कि मेरा भाई शजर अब्बास अपने कमरे में नीचे उतरकर आया और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो मेरे भाई शजर अब्बास को गोली मार दी थी जो मेरी रिपोर्ट में है। मैंने वही दरोगा जी को बयान दिया था। मुझे हिन्दी पढ़नी आती है। मैंने दरोगा जी को यह भी बयान दिया था कि गोली की आवाज सुनकर मैं और मुहल्ले के काफी लोग आ गये थे तो हम अपने भाई को इलाज के लिए अमरोहा अस्पताल में ला रहे थे तो रास्ते में ही मेरे भाई की मृत्यु हो गयी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान घर पर लिया था किस दिन लिया था इस समय ध्यान नहीं है। मैंने कोई शिनाख्त नहीं की थी। मेरे पहुंचने से पहले मुल्जिमान भाग चुके थे। मैंने दरोगा जी को किसी मुहल्ले वाले या किसी अन्य का नाम नहीं बताया था।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 डाक्टर फरीद हुसैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में मृतक शजर अब्बास का पोस्टमार्टम करना कहते हुए उसके शरीर पर आये चोटों का साबित किया है।

चोट नं0–1 कटी हुई चोट घाव जिसका आकार 1.5 सेमी X 1.5 सेमी छाती की बायी तरफ गोल आकार में था। घाव अन्दर तक गहरा था घाव की बाहरी पर्त अन्दर की ओर धसी हुई थी। घाव बायी बगल से 16 सेमी नीचे व बांये निप्पल से 20 सेमी नीचे बाहर की तरफ था । नाभि से 35 सेमी ऊपर था। आन्तरिक परीक्षण में उदर गुदा में 2.50 लीटर ब्लड रक्त मौजूद था। बाया गुर्दा और लिलिया दोनों फटे हुए पाये गये मृत्यु का समय आधे दिन के अन्दर होना पाया गया।

साक्षी की राय में मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्राव और शॉक होना पाया गया अत्याधिक रक्त स्राव व शॉक होने का कारण फायर आर्म इंजरी पायी गयी तथा **शव के शरीर में उदर गुदा में एक गोली बुलट पायी** जो कि मृतक के मृत्यु का कारण थी।

इसी सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतक के शरीर पर कपड़े मौजूद थे। मृतक के कपड़े आज मेरे सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है। मृतक के आमाशय में 600 एम0एल0 अर्धपचा भोजन मौजूद थे। मृतक ने क्या खाया होगा मैं नहीं बता सकता। मौत की अकड़न पूरे शरीर में मौजूद थी।

मेरे द्वारा बताये गये मृतक के समय में दोनों तरफ आधे घण्टे के समय में अन्तर हो सकता है। छोटी आंत में गैस तथा बड़ी आंत में मल मौजूद था।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक ताजवर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में मृतक के पंचनामा भरने के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है जबकि इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पोस्टमार्टम हाउस पर थानाध्यक्ष के आदेश से गये थे। वह आदेश आज साक्षी के सामने मौजूद नहीं है और न ही पत्रावली पर है। मैं अपने साथ केवल जिल्द पंचायत नामा लेकर गया था। पंचनामें के गवाहान वही पर मौजूद थे। इन लोगों के साथ वादी हैदर अब्बास मौजूद थे। मृतक ने जो कपड़े पहन रखे थे वह उसके शरीर पर थे। मैंने अपने कब्जे में नहीं लिया था। पंचायतनामें में चोटों में केवल घाव शब्द लिखा गया है। अन्य कोई चोट नहीं है। रविन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगांवा सादात में निरीक्षक के पद पर तैनात थे और मैं रवीन्द्र प्रताप सिंह के अधीनस्थ थे अपराध सं0 492 सन 2017 यानी इस सत्र परीक्षण की विवेचना रवीन्द्र प्रताप द्वारा की गई थी। थाना नौगांवा सादात में दिनांक 23.12.2017 को अ0सं0 504/17 धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। अपराध सं0 504 सन 2017 थाना नौगांवा सादात के वादी श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह ही थे। अ0सं0 504/17 धारा 147,148,149,307 भा0. दं0सं0 में निरीक्षक रवीन्द्र सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो घटना बतायी गई है। उस पुलिस पार्टी के साथ मैं भी था अ0सं0 504 सन 2017 की घटना में 20:25 बजे बता रहा हूँ। इस अपराध सं0 504 सन 2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट कितने बजे पंजीकृत हुई मुझे नहीं पता है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 मौहम्मद अब्बास ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि दिनांक 08.12.2017 की रात को उनके मुहल्ले के शजर अब्बास की हत्या बदमाशों द्वारा कर दी गई थी। शजर अब्बास का पंचायतनामा पोस्टमार्टम हाउस अमरोहा में दिन में 12.10 बजे पुलिस कर्मचारीगण द्वारा भरा गया था। साक्षी भी उस समय पोस्टमार्टम हाउस अमरोहा पर मौजूद था साक्षी ने शजर अब्बास के शव को देखा था। शजर अब्बास के बांये बगल की तरफ एक घाव था तथा उसके शरीर पर कपड़े थे। पंचायतनामा साक्षी के सामने दरोगा जी ने भरा था पंचायत नामे पर साक्षी ने हस्ताक्षर किये थे।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं वादी हैदर अब्बास का भांजा हूँ। पोस्टमार्टम हाउस पर मेरे हस्ताक्षर हुए थे। मैंने एक जगह हस्ताक्षर किये थे।

जिस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किये थे उस कागज को मैंने पढ़ा था। उसपर मेरे द्वारा हस्ताक्षर के अलावा कुछ नहीं लिखा था।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 बिलकिस फात्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए बयान दिया है जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मेरी उम्र 65वर्ष से अधिक है । मैं चश्मा लगाती हूँ। मुझे बहुत कम दिखाई देता है। मुझे चार पांच साल से बहुत कम दिखाई पड़ता है। मेरे तीन बेटे है। हैदर अब्बास, शजर अब्बास मेरे देवर है। मेरे पति का नाम गुलाम हैदर है। मैं अपने पति के साथ अपने देवर हैदर अब्बास व शजर अब्बास एक ही मकान में रहते है। इस मकान का एक ही मुख्यद्वार है। जिस कदन की घटना मैं बता रही है उस दिन की तारीख याद नहीं है। मैं घटना वाले दिन रात में 10 बजे सोई थी और सुबह अजान के समय 5:00बजे उठी थी। मैं पांचों वक्त की नमाज बड़ी पावन्दी के साथ पढ़ती हूँ। शजर अब्बास के पत्नी और बच्चे भी है और हैदर अब्बास के भी पत्नी और बच्चे है। मैं जिस मकान में रहती हूँ। उस मकान में नीचे मकान व गोदाम है। दो दुकाने है। रिपोर्ट हैदर अब्बास ने करायी थी। मुझे पता नहीं है कि रिपोर्ट कितनी बजे करायी थी और यह भी पता नहीं है कि कितने बजे रिपोर्ट करायी थी। मेरा दरोगा जी ने बयान जिस दिन की घटना है उसी दिन घर पर आकर मेरा बयान लिया था। इस बयान के बाद न ही दरोगा जी मिले और न ही मेरा बयान लिये। पूरा मकान पक्का बनाया गया है। इलाज के लिए शजर अब्बास को मेरा देवर और मेरा भाई ले गया था। शजर अब्बास को जो इलाज के लिए ले गये थे ये गुडडू मेरे घर के बराबर मुहल्ले में रहते है। ये मुझे पता नहीं कि शजर अब्बास को कौन से अस्पताल में ले गये थे, क्योंकि उस दिन मैं अपने घर पर नहीं थी । हैदर अब्बास मेरे सगे देवर है जिन मुल्जिमानों को आज मैंने न्यायालय में पहली बार देखा है ये जेल से आये थे। आज मेरे साथ शजर अब्बास आये है। पंचायत नामें मेरे सामने नहीं भरा गया था। हैदर अब्बास व शजर अब्बास के कमरे पहली मंजिल पर अलग–अलग कमरे है और मैं इसी मकान में नीचे रहती हूँ और उतरने चढ़ने के लिए जीना है। मेरे तीनों बेटे मेरे साथ रहते है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–6 तहमीम फात्मा ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करने का साक्ष्य दिया है जबकि इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि बिलकीम फात्मा

मेरी सास है। हैदर अब्बास और शजर अब्बास मेरे ससुर गुलाम हैदर के सगे भाई है। हम सभी लोग एक ही मकान में रहते है। मकान का एक ही मुख्य गेट है। रात में जब सोई थी तब मुख्य दरवाजा का गेट बन्द करके सोई थी। ऊपर जाने के लिए दरवाजा और सभी प्रकार दरवाजे व खिड़की ठीक प्रकार से बन्द करके सोये थे। घटना दिनांक 08.12.2017 की है। दरोगा जी ने मेरा बयान जिस दिन की घटना है उसी दिन मेरा बयान मेरे घर पर आकर लिया था। इसके बाद दरोगा जी न मुझे मिले और न ही मेरा कोई बयान लिये थे। शजर अब्बास की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गयी थी।

38– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जाना है कि कथित घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई शजर अब्बास को गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में लिंक साक्ष्य से अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता दर्शित करने हेतु कथित घटना के विवेचक के द्वारा अभियुक्तगण के बरामदशुदा तमंचा से जोकि पुलिस पार्टी के द्वारा पुलिस मुटभेड में अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद कर कथित घटना के सम्बन्ध में इस्तेमाल किये गये तमंचे को मौके पर वादी मुकदमा के भाई को गोली मारकर हत्या की गयी थी, को साबित किया गया है जिसके सम्बन्ध में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना केस डायरी में अंकित अभियुक्तगण के बयान के आधार पर अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता को आधार बनाया गया है। जहॉ तक अभियुक्तगण के बयानों का सम्बन्ध है। उसके लिए पत्रावली पर अन्य साक्ष्यों को भी देखा जाना है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रकाश में आये अभियुक्तगण साजिद, नाजिम, जाकिर, मौ0 राशिद एवं मुशारिक को दिनांक 24.12.2027 को थाना नौगांवा सादात के अ0सं0 504 सन 2017 धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 के मामले में अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त नाजिम से एक अदद तमंचा 12 बोर जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस जेब से तीन अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्त राशिद से एक अदद तंचा देशी 315 बोर नाल में फसा एक खोखा कारतूस व पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर एवं अभियुक्तगण जाकिर व मुशारिक से एक–एक अदद चाकू नाजायाज बरामद हुए थे। गिरफ्तार शुदा सभी अभियुक्तगण से तमंचे, कारतूस, चाकू व प्लास व हथौड़ा, सब्बल, संडासी आदि रखने का कारण पूछा तो बताया कि हम लोग घूम फिरकर मकान व दुकान आदि में चोरी व लूटपाट करते है।

39— इसी सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—7 उपनिरीक्षक लोकेन्द्र कुमार त्यागी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि दिनांक 24.12.2017 को वह थाना नौगांवा सादात में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन वह थानाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह व अन्य पुलिस बल के साथ हवालात में बंद अभियुक्तगण जाकिर, नाजिम, राशिद, आरिफ, मुशारिक को सरकारी गाड़ी में बैठाकर बउम्मीद बरामदगी घटना में प्रयुक्त गाड़ी बुलेरो पिकप यू0पी0 11 सी0ए00731 सम्बन्धित अ0सं0 492 सन 2017 धारा302 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान मौ0 इस्लामनगर अमरोहा बताये गये स्थान पर आये तथा गली में खाली स्थान पर अभियुक्त साकिर ने गाड़ी को रूकवाकर खाली स्थान में खड़ी बुलेरो पिकप यू0पी0 11 सी0ए0 0731 की ओर इशारा करके बताया कि यह वही गाडी है जिससे ना. ैगांवा कस्बे के बुद्ध बाजार में मकान मे ंचोरी करने के लिये हम लोग बैठकर आये थे और वापस इसी में बैठकर भागे थे। बरामद वाहन को समय 4.45 बजे कब्जे में लिया गया । बरामद गाड़ी की फर्द टार्च की रोशनी में तैयार की गयी। फर्द बरामदगी को प्रदर्श क—4 के रूप में साबित किया।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—8 एस0आई0 संजीव कुमार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि हमराह फर्द बरामदगी का गवाह है। दिनांक 24.12.2017 को थाना नौगांवा सादात में मूढ़ाखेड़ा चौकी पर चौकी इंचार्ज के पर पर तैनात था । उस दिन साक्षी, थानाध्यक्ष रविन्द्र प्रतापि सिंह, एस0एस0आई0 सुरेन्द्र सिंह, एस0आई देवेन्द्र कुमार ,एस0आई0 लोकेन्द्र कुमार मय का0 विनोद कुमार व का0 चालक सतीश गुमार व गजरौला के उपनिरीक्षक रामप्रकाश शर्मा उपनिरीक्षक विनोद कुमार त्यागी व का0 चालक जयपाल मय जीप सरकारी व थाना नौगांवा सादात के हवालात मर्दाना में बन्द अभियुक्तगण जाकिर, नाजिम, मौ0 राशिद, मौ0 आरिफ, मुशारिक को साथ लेकर बहवाले रपट नं0 8 समय 3:45 बजे रवाना होकर बाउम्मीद बरामदगी अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान मौहल्ला इस्लामनगर थाना अमरोहा नगर क्षेत्र में आये गली में खाली स्थान पर अभियुक्त जाकिर ने गाड़ी को रूकवाकर खाली स्थान में खड़ी बोलेरो पीकप सी0पी0सी0 यू0पी0 11 सी0ए0 0731 की ओर इशारा करके बताया कि यह वही गाड़ी है जिससे नौगांवा सादात कस्बे में बुद्ध बाजार में मकान में चोरी करने के लिए दिनांक 08.12.2017 को बैठकर आये थे और घटना के बाद इसी बाड़ी में बैठकर भागे थे। गाड़ी बोलेरो पीकप को समय 4.35 बजे कब्जे में लिया गया। बरामद गाड़ी की फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में बनायी गयी थी। हम सबको पढकर सुनायी गयी थी

व हमारे हस्ताक्षर बनवाये गये थे। फर्द साक्षी के सामने पत्रावली पर मौजूद है जिस पर साक्षी है हस्ताक्षर है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है **कि बोलेरो गाड़ी का इंजन नम्बर व गाड़ी न0, चैसिस नम्बर याद नहीं है। जहॉ से गाड़ी बरामद हुई थी उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण में क्या है ये मुझे नहीं पता। बरामदगी स्थल पर करीब दो ढाई घंटे रहे। कोई जनता का गवाह नहीं मिला।** थाने में विवेचक ने मेरा बयान लिया था और बरामदगी में भी विवेचक मेरे साथ थे। थाने में बरामदगी स्थल के लिए सुबह 3.45 बजे रवाना हुए थे। फर्द विवेचक ने बनाई थी। गाड़ी आज मेरे सामने नहीं है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–9 हैडमोहर्रिर वीरेन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 8.12. 2017 को साक्षी थाना नौगांवा सादात में हेडमोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन वादी की तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सं0 492 सन 2017 धारा 302 भा0दं0सं0 तैयार कराना कहा जिसका खुलासा जी0डी0 में किया था चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 एवं जी0डी0 की प्रति को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वादी तहरीर लेकर रात के समय आया था। तहरीर कितने बजे टाईप करायी थी। समय मुझे ध्यान नहीं है। मैंने टाईप होने के बाद एफ0आई0आर0 पर हस्ताक्षर किये थे या नहीं ध्यान नहीं है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–10 रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में मामले की विवेचना करना कहते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियोजन कथानक को साबित करते हुए विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है।

जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि अभियोग मेरी मौजूदगी में कायम हुआ था। धारा 302 भा0दं0सं0 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व दर्ज हुआ था। विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी। **केस डायरी देखकर बताया कि दिनांक 24.12.2017 से पहले किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नही ंआया बिलकिस फात्मा व तहमीम के बयान दिनांक 13.03.2018 को में दर्ज किये। इन दोनों के बयान इनके आवास पर लिये थे। इन दोनों साक्षीगण बिलकिस फात्मा व तहमीम फात्मा ने अज्ञात**

बदमाशों का कोई हुलिया रूप रंग ढाल कद काठी के बारे में नहीं बताया था और पहचान जाने का कोई विशेष व साधारण चिन्ह नहीं बताया था। उनके द्वारा किस इलाके की भाषा बाले रहे थे ये भी नहीं बताया था। अ0सं0 504/2017 धारा 147, 148,149, 307 भा0दं0सं0 मेरे थाने में पंजीकृत हुआ था और मैं ही इसका वादी था। अ0सं0 504/2017 को मेरे द्वारा कथित घटना किस तारीख दिनांक समय की है मुझे ध्यान नहीं है। केस डायरी देखकर बताया कि अ0सं0 504/17 अभियुक्तगण नाजिम, आरिफ, राशिद, जाकिर, मुशारिक, साजिद व प्यारों थे और मैं इनके जो बयान बता रहा हूँ व थाने में पुलिस अभिरक्षा के है। ये बयान मैंने पुलिस वालों के सामने लिया था। मुल्जिमान का डिसक्लोजर स्टेटमेन्ट किसी जन साक्षी के सामने अंकित नहीं किया था। **बुलैरो गाड़ी की बरामदगी का इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर व माडल याद नहीं है। गाड़ी नम्बर याद है। गाड़ी आज मेरे सामने नहीं है। इस गाड़ी के बरामदगी में थाने से रवाना हुए थे। बरामदगी के समय सभी पुलिस वाले थे। यह कहना सही है कि बरामदगी के लिए थाने से रवाना होना वापसी होने का कोई भी पुलिस प्रपत्र पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने जो आरोप पत्र प्रेषित किया है वह मेरे द्वारा अभियुक्तों के लिए गये बयान व वाहन की बरामदगी के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया है। पंजीकृत स्वामी बुलैरो पिकप के बारे में जानकारी नहीं है।** पंचायतनामा मेरे द्वारा नहीं भरा गया। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा जो विवेचना की जाती है उसका परीक्षण क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाता है। यह कहना भी सही है कि प्रत्येक पर्चे पर परीक्षण करने के बाद प्रत्येक पर्चे के बांयी तरफ लाल पेन से संक्षिप्त विवरण लिखते है। केस डायरी पर लिखे बांयी तरफ लाल पेन से हासिये में लाल पेन से लिखे हुए शब्दो के विषय में मैं नही बता सकता कि किसी हस्तलेख में है। यह कहना सही है कि प्रत्येक पर्चे पर सी0ओ0 साहब के सुक्ष्म हस्ताक्षर है। पंचायतनामें के साक्षीगण के बयान मैंने लिये थे। ये पंचायतनामें के साक्षीगण के बयान थाने में लिये थे। पंचायतनामे की कार्यवाही मेरी मौजूदगी में नहीं हुई थी। **बुलेरो पिकप गाड़ी की बरामदगी खुले स्थान पर दिखायी है। इस बरामदगी स्थल के उत्तर पूर्व पश्चिम क्या था मुझे ध्यान नहीं है। बरामदगी के गवाह सभी पुलिस कर्मी थी और मेरे ही थाने में तैनात थे। मेरे ही अधीनस्थ थे । बरामदगी हेतु रवानगी करने के बाद कोई जन साक्षी नहीं लिया था। चप्पल आज मेरे सामने नहीं है। चप्पल किसकी थी ये नहीं पता।**

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ साक्ष्य देते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी के सम्बन्ध में

साक्ष्य दिया है।

जबकि इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि अ.सं. 492/17 की प्रथम सूचना रिर्पोट अज्ञात में पंजीकृत हुयी थी। अ.सं. 492/17 के विवेचक महोदय थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह थे। अ.सं. 492/17 की प्रथम सूचना रिर्पोट 08.12.2017 में पंजीकृत हुयी थी। समय का ध्यान नहीं है। अ.सं. 504/17 धारा 147,148,149,307 भा.द.सं. के वादी भी थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह थे। अ.सं. 504/17 की घटना 21.00 बजे की है तारीख 23.12.2017 की है। अ.सं. 504/17 की प्रथम सूचना रिर्पोट 24.12.17 को 00.39 बजे पंजीकृत हुयी थी। थाने से हम 20.25 बजे रवाना हुए थे। माल तमचा कारतूस सील करने के बाद फर्द बनाने में एक ढेड घंटा लग गया होगा। अ.सं. 504/17 के घटना स्थल पर करीब सवा तीन घटे के आसपास रहा हूँ। जब फायर हुआ तो हम सब पुलिस वाले अलग अलग वाहनो की चौकिंग कर रहे थे सब एक जगह नहीं थे। **मैंने बहुत वाहनो की चौंकिग की लेकिन उनके नम्बर मुझे याद नहीं हैं। मेरे एवं मुल्जिमानो के बीच में कोई आड नही थी। मुल्जिमान द्वारा किया गया फायर ना तो हमे लगा एवं कहां लगा हमें पता नहीं। हम सभी पुलिस वालों के पास अपने अपने हथियार थे। हम पुलिस वालों ने दो तीन फायर किये थे। मेरे द्वारा किया गया फायर मुल्जिमान के गाडी में लगे थे मारूती 800 थी नम्बर डी.एल. करके था पुरा नम्बर मुझे याद नहीं है। घटना काफी पुरानी हो गयी इसलिए नम्बर याद नहीं है। मारूती कार आज मेरे सामने न्यायालय में नहीं है। मारूती कार से जो सामान सब्बल प्लास आदि बरामद होना बता रहा हूँ आज मेरे सामने नहीं है। जो मैं मुल्जिमानो से तमचा कारतूस चाकू बरामद होना बता रहा हूँ उनमे से सिर्फ एक तमचां आज मेरे सामने है ये तमचां राशिद से बरामद हुआ था। बुलेरो गाडी 24.12.17 तारिख में मौ. इस्लामनगर अमरोहा में बरामद की थी। इस बोलेरो गाडी का माडल नम्बर व रजिस्ट्रेशन नम्बर ध्यान नहीं है। ये भी इसलिए याद नहीं है क्योकि समय पुराना हो गया। जो तमचां राशिद से बरामद होना बता रहा हूँ उसकी मुड पर दो पेच थे साक्षी को तमचां दिखाया गया तो उसकी मुड पर एक पेच थे।** कारतूसों का पूरा विवरण फर्द में उल्लेख किया था। कारतूस की पेदी पर के. एफ. 8 एम.एम. लिखा हुआ था। फर्द अ.सं. 504/17 प्रभारी निरीक्षक ने उपनिरीक्षक ताजवर सिंह को बोल बोल कर तैयार करवायी थी। ताजबर सिंह ने फर्द गाडी के बोनट पर लिखी थी। सामान के नाम पर हम सभी पुलिस वालों पर अपने अपने हथियार थे। फर्द पुरी होने के बाद ही हमने सभी साक्षीगण के हस्ताक्षर कराये थे। जहां पर

साक्षीगण के हस्ताक्षर उससे पहले अन्तिम पक्ति में अन्तर्गत सीज की कार्यवाही की गयी। फर्द में अन्तिम पक्ति से पूर्व यह लिखा है कि गवाहन गवाही के हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। अ०सं०504/17 के विवेचक भी हमारे पुलिस थाने में तैनात थे जो वादी रविन्द्र प्रताप सिंह के अधिनस्थ थे।

40— अभियोजन की ओर से अपनी बहस में यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा के प्रवेश कर घर में चोरी करने के आशय से जाग होने पर विरोध करने पर वादी मुकदमा के भाई शजर अब्बास को गोली मारकर हत्या कारित की। अभियुक्तगण से आला कत्ल की बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमा अ0सं0 504/17 धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 व अ0सं0 507/17 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में गिरफ्तार किया गया था जिसमें अभियुक्त राशिद की ओर से यह कथन किया गया है कि उक्त तमंचे से ही मेरे द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कारित की थी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत है।अभियोजन साक्षीगण के द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता को सन्देह से परे साबित किया गया है।

41— जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को झूठी व फर्जी पुलिस मुटभेड दर्शाया गिरफ्तार करना बताया गया है, जहॉ तक कि कथित पुलिस मुटभेड का सम्बन्ध है। अभियुक्तगण पर फर्जी मुटभेड दर्शाते हुए गुडवर्क दिखाने व सम्बधित मुकदमें का खुलासा हेतु उक्त बरामदगी दर्शायी गयी है जो बिल्कूल फर्जी बरामदगी है ऐसी कोई घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित नहीं की गयी। अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

42— उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण को कथित घटना के सम्बन्ध में पुलिस पार्टी मुटभेड़ दिखाते हुए पुलिस पार्टी मुटभेड के मुकदमें में अभियुक्तगण से जो बरामदगी दर्शायी गयी है और उसी बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण राशिद एंवं अन्य अभियुक्तगण से कथित घटना को अभियुक्त राशिद से बरामद तमंचे से वादी मुकदमा के भाई शजर अब्बास को कथित दिनांक को गोली मारना बताया है जिसके आधार अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में कथित घटना में संलिप्त किया गया है जिसके सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से यह सिद्ध होना है कि क्या कथित, दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर चोरी व लूट करने के उद्देश्य से वादी मुकदमा

के धर में गये थे जहॉ पर जाग होने व पकड़े जाने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई शजर अब्बास को गोली मारना बताया है। जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा तहरीर देकर अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

43– अभियुक्तगण की संस्वीकृति के आधार पर उक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है जिसके सम्बन्ध में **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 व 26 के अनुसार**– धारा 25. Confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer, shall be proved as against a person accused of any offence.

26. Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. No confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer, unless it be made in the immediate presence of a Magistrate, shall be proved as against such person.

44- अभियुक्तगण द्वारा जिस तमंचे से गोली मारना बताया गया है व डाक्टर के द्वारा जो गोली मृतक के उदर गुदा में होना बताया गया है । विवेचक द्वारा कथित बुलट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है और ना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण के द्वारा जो पुलिस मुटभेड़ में तमंचा बरामद करना बताया गया है उसी तमंचे से वह गोली अभियुक्त के द्वारा चलाकर मृतक की मृत्यु कारित की गयी है। जहॉ विवेचक की ओर से दिये गये साक्ष्य का सम्बन्ध है उससे भी ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ कि कथित तमंचे से ही गोली मारकर मृतक की हत्या कारित की गयी है। अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में संस्वीकृति के बयान के आधार पर मुल्जिम बनाया गया है। जबकि कोई संस्वीकृति जोकि पुलिस अभिरक्षा में की जाती है उसका साक्षिक मूल्य के लिए अन्य विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साबित किया जाना आवश्यक है। अभियुक्तगण के विरूद्ध मात्र संस्वीकृति व व कथित फर्जी बरामदगी के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। जहॉ तक अभियुक्तगण को वादी मुकदमा व अन्य तथ्य के साक्षीगण द्वारा पहचाने जाने का सम्बन्ध है जिसके सम्बन्ध में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर दर्शित नहीं होता कि अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के उपरांत वादी मुकदमा व अन्य तथ्य के साक्षीगण से शिनाख्त की कार्यवाही की गयी हो। जहॉ तक वादी मुकदमा की

ओर से अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहना कि अभियुक्तगण की शिनाख्त मेरी भाभी बिलकिस फात्मा द्वारा की गयी थी जबकि जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि मैंने कोई शिनाख्त नहीं की गयी मेरे पहुंचने से पहले ही मुल्जिमान भाग चुके थे। बिलकिस फात्मा पी0डब्लू0–5 के रूप में परीक्षित हुए जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर कहा कि यह वही बदमाश है जिन्होने शजर अब्बास को गोली मारी थी। जबकि जिरह में साक्षी की ओर से यह कथन किया है कि मेरी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, मैं चश्मा लगाती हूँ आज मैं चश्मा लाना भूल गयी हूँ। मुझे चार पांच साल से बहुत कम दिखाई देता है। मैं घटना वाले दिन रांत में 10 बजे सोयी थी और सुबह पांच बजे उठी थी। आगे यह भी कथन किया गया है कि जिन मुल्जिमान को आज मैंने पहली बार न्यायालय में देखा है वे जेल से आये थे। तथ्य के साक्षी तहमीम फात्मा पी0डब्लू0–6 की ओर से जोकि उस समय रात में अपनी सास के साथ जाग गयी थी, उसके द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि दरोगा जी ने मेरा बयान जिस दिन की घटना है उसी दिन मेरे घर आकर लिया था उसके बाद दरोगा जी ना मुझे मिले और ना ही मेरा बयान लिया। उप. रोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण की पूर्व में कोई शिनाख्त नहीं कराई गयी थी। जबकि बिलकीस फात्मा के द्वारा कहा गया है कि उसे बहुत दिखाई देता है और वह चश्मा भी नहीं लायी है। इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण की पहचान संदिग्ध प्रतीत होती है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही कथित दिनांक को घटना कारित की हो।

45– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि साक्षीगण से जो प्रतिपरीक्षा हुई उसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता और सम्बन्धित विवेचक ने साक्षीगण द्वारा कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं करायी है मात्र पुलिस अभिरक्षा में कथित बयानों के आधार पर विधि विरूद्ध रूप से आरोप पत्र प्रेषित किया है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अनुसार पुलिस आफिसर से संस्वीकृति को अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 हैदर अब्बास ने जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि शजर अब्बास मेरे भाई है। हम दोनों भाई एक ही मकान में अलग–अलग रहते है। यह मकान दो मंजिला है ऊपरी है, ऊपरी मंजिल में शजर अब्बास रहते है, नीचे वाली मंजिल में सिर्फ दुकानें बनी है। अपने भाई की मृत्यु की सूचना मैने दी थी और मेरा बयान किस दिन लिया था मुझे ध्यान नहीं है और

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कथन यह किया है कि मेरे पहुँचने से पहले मुल्जिमान भाग गये थे। इस कथन से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने ना तो कोई घटना देखी और ना ही मुल्जमिान को देखा। अभियोजन साक्षी संख्या 2 डा0 फरीद हुसैन ने जिन्होंने मृतक शजर अब्बास का पोस्टमार्टम किया है इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 3 उपनिरीक्षक ताजवर सिंह ने जिन्होंने शव का पंचायतनामा भरा और अभियोजन साक्षी संख्या 4 मौ० अब्बास पंचायत नामा के पंचान है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 बिलकीस फात्मा पत्नी गुलाम हैदर जोकि मृतक शजर अब्बास की भाभी है इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मेरी उम्र 65 वर्ष से अधिक है मैं चश्मा लगाती हूँ मुझे कम बहुत दिखाई देता है मुझे 4—5 वर्ष से बहुत कम दिखाई देता है इस मकान का एक ही मुख्य द्वार है इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि जिस दिन की मैं घटना बता रहीं हूँ उस दिन की तारीख याद नहीं है और इस साक्षी ने आगे भी कथन किया है कि मैं घटना वाले दिन रात 10 बजे सोयी थी और सुबह अजान के समय उठी थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना रात्री 2रू00 बजे की बतायी गयी है जब यह साक्षी रात 10 बजे सोयी और सुबह 5.00 बजे उठी तो इस कथन से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी के सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि रिपोर्ट हैदर अब्बास ने करायी थी मुझे पता नहीं और आगे यह भी कथन किया है कि मेरा बयान उसी दिन जिस दिन की घटना है घर पर लिया था और इस बयान के बाद ना ही दरोगाजी मुझे मिले और ना ही मेरे बयान लिये जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 10 विवेचक रविन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कि बिलकीस फात्मा का बयान दिनांक 13—03—2018 को उसके घर पर लिया था। इस प्रकार साक्षी संख्या 5 बिलकीस फात्मा ने अपना बयान सरासर झूठा कथन किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 बिलकीस फात्मा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कथन किया है कि ये मुझे नहीं पता कि शजर अब्बास को कौन से अस्पताल में ले गये थे क्योंकि उस दिन मैं अपने घर पर नहीं थी। इस कथन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना के समय अपने घर पर मौजूद नहीं थी और इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जिन मुल्जिमान को आज मैंने पहली बार देखा है जो जेल से आये थे इस साक्षी से विवेचक ने कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं करायी। अभियोजन साक्षी संख्या 6 तहमीम फात्मा ने इस साक्षी द्वारा भी इस साक्षी ने अपनी कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं करायी गयी और ना ही मुख्य परीक्षा और अपनी प्रतिपरीक्षा में किसी मुल्जिम का नाम लिया। इस साक्षी ने अपनी

प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मुझे पता नहीं कि शजर अब्बास को अस्पताल कौन–कौन ले गये थे। शायद मौहल्ले वाले और कौन लोग थे और आगे ये भी कथन किया कि मुझे ये भी नहीं पता कि थाने कौन–कौन गया था और कितने बजे गये थे, और ये भी कथन किया है कि शजर अब्बास के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। अभियोजन साक्षी संख्या 7 व 8 क्रमशः उपनिरीक्षक लौकेन्द्र त्यागी और उपनिरीक्षक संजीव कुमार है। जिन्होंने यह कथन किया है कि अभियुक्त जाकिर ने बुलौरों कार बरामद करायी थी, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है और ना ही यह बुलौरों कार न्यायालय के समक्ष आयी । अभियोजन साक्षी संख्या 9 हेड मौहर्रिर विरेन्द्र सिंह है जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी है। अभियोजन साक्षी संख्या 10 विवेचक रविन्द्र प्रताप सिंह ने जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 24–12–2017 से पहले किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया था और बिलकीस फात्मा व तहमीम फात्मा का बयान दिनांक 13–03–2018 को दर्ज किये। इस प्रकार विवेचक महोदय ने ना तो साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्त करायी मात्र पुलिस अभिरक्षा में कथित अभियुक्तगण की संस्वीकृति के आधार पर दोषपूर्ण विवेचना करके अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है और अभियोजन साक्षी संख्या 11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार है जोकि अपराध संख्या 504/2017 धारा–147,148,149,307 आई०पी०सी० की कथित घटना के साक्षी बताये गये इस पुलिस पार्टी फायरिंग की भी कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

अभियोजन की ओर से तमंचा के सम्बन्ध में यह साबित नहीं किया जा सका है कि जिस तमंचा को अभियुक्त राशिद के पास से बरामद होना बताया गया है वह चालू हालत में था तथा जब माल मुकदमा न्यायालय के समक्ष खोला गया तो मौके पर जिस सर्व सील मोहर के द्वारा माल को सील किया गया था उस नमूना मोहर को न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। उक्त तमंचा चालू हालत में था या नहीं। उक्त के सम्बन्ध में कोई भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह साबित हो कि जो तमंचा अभियुक्त राशिद से बरामद होना बताया है उसी तमंचे से फायर किये गये और कथित घटना कारित की गयी। अभियुक्तगण से बरामदशुदा माल के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजने जाने की रिपोर्ट या रजिस्टर की कोई प्रविष्टि तथा कौन विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले गया उसका कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है और ना ही कोई विधि विज्ञान प्रयोग शाला की कोई रिपोर्ट दाखिल की गयी है जिससे अभियुक्तगण से जो बरामदगी दर्शाई गयी वह

वह संदिग्ध प्रतीत होती है तथा अभियोजन कथानक सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

46— इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायाालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **जगजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट केसेस 57** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन को यह साबित करना है कि प्रश्नगत शस्त्र चालू हालत में था। प्रश्नगत शस्त्र चालू हालत होने के सम्बन्ध में कोई अवधारण नहीं की जायेगी, अपितू इस तथ्य को अभियोजन द्वारा सम्यक साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करना होता है परन्तु न्यायालय के समक्ष तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है।

47— अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित घटना के दिनांक व स्थान पर अभियुक्तगण ने मिलकर मृतक शजर अब्बास के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर चोरी व लूटपाट करने के आशय से पकड़े जाने पर मृतक शजर अब्बास की गोली मारकर हत्या कारित की, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

48—अवधार्य बिन्दु सं.0—4

अवधार्य बिन्दु संख्या—4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन पक्ष घटना के सम्बन्ध में श्रृंखलाबद्ध तरीके से साशय हत्या के आरोप को अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकरण में घटना व हत्या के सम्बन्ध में जो साक्षीगण बनाये गये है उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन हितबद्व साक्षी होने के कारण किया गया है। अब यह प्रश्न उठाता है कि मृतक शजर अब्बास की हत्या करने का क्या उद्देश्य या मोटिव था यह स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि घटना के सम्बन्ध में हत्या का कोई हेतुक भी सिद्ध नही है—क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामजद नहीं है तथा दिनांक 08.12.2017 की रात्रि समय करीब 2 बजे घर के अन्दर तीन चार बदमाश घुस आये घर में जाग होने पर शजर अब्बास अपने कमरे से नीचे उतरकर आये तो बदमाशों ने शजर अब्बास के गोली मार दी। इस प्रकार पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध मृतक की हत्या करने का कोई हेतुक सन्देह से परे साबित नही है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस में तर्क देते हुए यह भी कथन किया गया है कि साक्षीगण से जो प्रतिपरीक्षा हुई उसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता और सम्बन्धित विवेचक महोदय ने साक्षीगण द्वारा कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं करायी है मात्र पुलिस अभिरक्षा में कथित बयानों के आधार पर विधि विरूद्ध रूप से आरोप पत्र प्रेषित किया है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अनुसार पुलिस आफिसर से संस्वीकृति को अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 हैदर अब्बास ने जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि शजर अब्बास मेरे भाई है। हम दोनों भाई एक ही मकान में अलग–अलग रहते है। यह मकान दोमंजिला है ऊपरी है, ऊपरी मंजिल में शजर अब्बास रहते है, नीचे वाली मंजिल में सिर्फ दुकानें बनी है। अपने भाई की मृत्यु की सूचना मैने दी थी और मेरा बयान किस दिन लिया था मुझे ध्यान नहीं है और इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कथन यह किया है कि मेरे पहुँचने से पहले मुल्जिमान भाग गये थे। इस कथन से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने ना तो कोई घटना देखी और ना ही मुल्जमिान को देखा। अभियोजन साक्षी संख्या 2 डा0 फरीद हुसैन ने जिन्होंने मृतक शजर अब्बास का पोस्टमार्टम किया है इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 3 उपनिरीक्षक ताजवर सिंह ने जिन्होंने शव का पंचायतनामा भरा और अभियोजन साक्षी संख्या 4 मौ० अब्बास पंचायत नामा के पंचान है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 बिलकीस फात्मा पत्नी गुलाम हैदर जोकि मृतक शजर अब्बास की भाभी है इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मेरी उम्र 65 वर्ष से अधिक है मैं चश्मा लगाती हूँ मुझे कम बहुत दिखाई देता है मुझे 4–5 वर्ष से बहुत कम दिखाई देता है इस मकान का एक ही मुख्य द्वार है इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि जिस दिन की मैं घटना बता रहीं हूँ उस दिन की तारीख याद नहीं है और इस साक्षी ने आगे भी कथन किया है कि मैं घटना वाले दिन रात 10 बजे सोयी थी और सुबह अजान के समय उठी थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना रात्री 2:00 बजे की बतायी गयी है जब यह साक्षी रात 10 बजे सोयी और सुबह 5.00 बजे उठी तो इस कथन से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी के सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि रिपोर्ट हैदर अब्बास ने करायी थी मुझे पता नहीं और आगे यह भी कथन किया है कि मेरा बयान उसी दिन जिस दिन की घटना है घर पर लिया था और इस बयान के

बाद ना ही दरोगाजी मुझे मिले और ना ही मेरे बयान लिये जबकि अभियोजन साक्षी संख्या 10 विवेचक रविन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कि बिलकीस फात्मा का बयान दिनांक 13–03–2018 को उसके घर पर लिया था। इस प्रकार साक्षी संख्या 5 बिलकीस फात्मा ने अपना बयान सरासर झूठा कथन किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 बिलकीस फात्मा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कथन किया है कि ये मुझे नहीं पता कि शजर अब्बास को कौन से अस्पताल में ले गये थे क्योंकि उस दिन मैं अपने घर पर नहीं थी। इस कथन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना के समय अपने घर पर मौजूद नहीं थी और इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जिन मुल्जिमान को आज मैंने पहली बार देखा है जो जेल से आये थे इस साक्षी से विवेचक ने कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं करायी। अभियोजन साक्षी संख्या 6 तहमीम फात्मा ने इस साक्षी द्वारा भी इस साक्षी ने अपनी कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं करायी गयी और ना ही मुख्य परीक्षा और अपनी प्रतिपरीक्षा में किसी मुल्जिम का नाम लिया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मुझे पता नहीं कि शजर अब्बास को अस्पताल कौन–कौन ले गये थे। शायद मौहल्ले वाले और कौन लोग थे और आगे ये भी कथन किया कि मुझे ये भी नहीं पता कि थाने कौन–कौन गया था और कितने बजे गये थे, और ये भी कथन किया है कि शजर अब्बास के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। अभियोजन साक्षी संख्या 7 व 8 क्रमशः उपनिरीक्षक लौकेन्द्र त्यागी और उपनिरीक्षक संजीव कुमार है। जिन्होंने यह कथन किया है कि अभियुक्त जाकिर ने बुलौरों कार बरामद करायी थी, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है और ना ही यह बुलौरों कार न्यायालय के समक्ष आयी । अभियोजन साक्षी संख्या 9 हेड मौहर्रिर विरेन्द्र सिंह है जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी है। अभियोजन साक्षी संख्या 10 विवेचक रविन्द्र प्रताप सिंह ने जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 24–12–2017 से पहले किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया था और बिलकीस फात्मा व तहमीम फात्मा का बयान दिनांक 13–03–2018 को दर्ज किये। इस प्रकार विवेचक महोदय ने ना तो साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्त करायी मात्र पुलिस अभिरक्षा में कथित अभियुक्तगण की संस्वीकृति के आधार पर दोषपूर्ण विवेचना करके अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है और अभियोजन साक्षी संख्या 11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार है जोकि अपराध संख्या 504/2017 धारा–147,148,149,307 आई०पी०सी० की कथित घटना के साक्षी बताये गये इस पुलिस पार्टी फायरिंग की भी कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। इस प्रकार अभियुक्तगण

के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

49— उपरोक्त अवधार्य बिन्दु सं0—1 व 2 के निस्तारण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा के बयानों में विरोधाभास है तथा घटना पूर्ण रूप से साबित नहीं हो पायी है। क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा जिस तमंचे से गोली मारना बताया गया है तथा डाक्टर के द्वारा साक्ष्य में जो गोली मृतक के उदर गुदा में होना बताया गया है । विवेचक द्वारा कथित बुलट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया है और ना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण के द्वारा जो पुलिस मुटभेड़ में तमंचा बरामद करना बताया गया है उसी तमंचे से वह गोली अभियुक्त के द्वारा चलाकर मृतक की मृत्यु कारित की गयी है। जहॉ विवेचक की ओर से दिये गये साक्ष्य का सम्बन्ध है उससे भी ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ कि कथित तमंचे से ही गोली मारकर मृतक की हत्या कारित की गयी है। अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में संस्वीकृति के बयान के आधार पर मुल्जिम बनाया गया है। जबकि कोई संस्वीकृति जोकि पुलिस अभिरक्षा में की जाती है उसका साक्षिक मूल्य के लिए अन्य विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साबित किया जाना आवश्यक है। अभियुक्तगण के विरूद्ध मात्र संस्वीकृति व व कथित फर्जी बरामदगी के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। जहॉ तक अभियुक्तगण को वादी मुकदमा व अन्य तथ्य के साक्षीगण द्वारा पहचाने जाने का सम्बन्ध है जिसके सम्बन्ध में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर दर्शित नहीं होता कि अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के उपरांत वादी मुकदमा व अन्य तथ्य के साक्षीगण से शिनाख्त की कार्यवाही की गयी हो। जहॉ तक वादी मुकदमा की ओर से अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहना कि अभियुक्तगण की शिनाख्त मेरी भाभी बिलकिस फात्मा द्वारा की गयी थी जबकि जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि मैंने कोई शिनाख्त नहीं की गयी मेरे पहुंचने से पहले ही मुल्जिमान भाग चुके थे। बिलकिस फात्मा पी0डब्लू0—5 के रूप में परीक्षित हुए जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर कहा कि यह वही बदमाश है जिन्होने शजर अब्बास को गोली मारी थी। जबकि जिरह में साक्षी की ओर से यह कथन किया है कि मेरी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, मैं चश्मा लगाती हूॅ आज मैं चश्मा लाना भूल गयी हूॅ। मुझे चार पांच साल से बहुत कम दिखाई देता है। मैं घटना वाले दिन रांत में 10 बजे सोयी थी और सुबह पांच बजे उठी थी। आगे यह भी कथन किया गया है कि जिन मुल्जिमान को आज मैंने पहली बार

न्यायालय में देखा है वे जेल से आये थे। तथ्य के साक्षी तहमीम फात्मा पी0 डब्लू0–6 की ओर से जोकि उस समय रात में अपनी सास के साथ जाग गयी थी, उसके द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि दरोगा जी ने मेरा बयान जिस दिन की घटना है उसी दिन मेरे घर आकर लिया था उसके बाद दरोगा जी ना मुझे मिले और ना ही मेरा बयान लिया। उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण की पूर्व में कोई शिनाख्त नहीं कराई गयी थी। जबकि बिलकीस फात्मा के द्वारा कहा गया है कि उसे बहुत कम दिखाई देता है और वह चश्मा भी नहीं लायी है। इन परिस्थतियों में अभियुक्तगण की पहचान संदिग्ध प्रतीत होती है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही कथित दिनांक को घटना कारित की हो।

50– परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में निर्मित घटना के श्रृंखला के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था रामरेडी राजेश खन्ना रेडी अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य अन्य 2006(3)एस0सी0सी0 कि0 512 में यह अवधारित किया गया है कि " It is now well settled that with a view to a conviction on circumstantial evidence, the prosecution must establish all the pieces of incriminating circumstances by reliable and clinching evidence and the circumstances so proved must form such a chain of events as would permit no conclusion other than one of guilt of the accused. The circumstances cannot be on any other hypothesis. It is also well settled that suspicion, however, grave it may be, cannot be a substitute for a proof and the courts shall take utmost precaution in finding an accused guilty only on the basis of the circumstantial evidence."

उपरोक्त विधि व्यवस्था में स्थापित सिद्धान्त के प्रकाश में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध सभी तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य से स्थापित करना अनिवार्य है तथा घटनाओं की श्रृंखला इस प्रकार से पूरी साबित होनी चाहिए, जिससे कि अभियुक्त के दोषी होने के अलावा कोई और निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

51– वर्तमान मामले में जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है उस साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विसंगतियां है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि अभियोजन सभी तथ्यों को साबित नहीं कर पाया है जिससे कि अभियुक्तगण के द्वारा ही उक्त अपराध कारित किया जाना साबित हो। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से घटना की श्रृंखला भी पूरी नहीं हो रही है।

52— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरिचरन बनाम मध्य प्रदेश 2011 (73) ए0सी0सी0 343 एस0सी0, स्टेट आफ महेन्द्र सिंह दाहिया ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 2073, विश्वास बनाम स्टेट आफ आसाम 2013 एस0सी0** में यह अवधारित किया गया कि सन्देह चाहे कितना भी गहरा हो वह दोषसिद्धि का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। अभियोजन पक्ष को अपना केस सन्देह से परे साबित करना आवश्यक है।

53— परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 200 में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है यदि अभियुक्त पर लगाये आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है और साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर यदि घटना के घटित होने में किसी स्तर पर कोई सन्देह उत्पंन होता है तो इसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्त पर जायेगा।

54— विधि व्यवस्था **जितेन्द्र बेसरा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2010 ए0सी0सी0 (एस0सी0) पेज 480** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब तक अपराध में दर्शाये जाने वाली सभी परिस्थितियां साबित न हो जाती हो तब तक अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाने के अधिकारी होगें।

55— उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से एवं वर्णित विधि व्यवस्थाओं में दिये गये विधिक अभिमत के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण साजिद, नाजिम, मौ0 राशिद एवं मुशारिक के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 149, 452 भा0दं0सं0 के आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित नही होते है। अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपों से सन्देह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 93 सन 2018 अ0सं0 492 सन 2017 सरकार बनाम साजिद आदि थाना नौगांवा सादात के अन्तर्गत अभियुक्तगण साजिद, नाजिम, मौ0 राशिद एवं मुशारिक को धारा 302 सपठित धारा 149,452 भा0दं0सं0 के आरोपों से सन्देह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त नाजिम जेल से न्यायालय हाजिर आया है तथा शेष अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त

करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अधीन मुव0 50,000—50,000 ⁄ —रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो—दो प्रतिभू एक सप्ताह के अन्दर इस आशय से दाखिल करने पर यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होती है तो उस अपील के नोटिस प्राप्त होने पर अभियुक्तगण स्वतः अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें। उक्त बन्धपत्र निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी होगें।

अभियुक्त नाजिम जिला कारागार में निरूद्ध है तथा जेल से न्यायालय के समक्ष हाजिर आया है। उसका रिहाई आदेश ⁄ परवाना जिला कारागार इस आशय से प्रेषित किया जाए कि वह अन्य अभियोग में वांछित न हो तो उसे इस अभियोग में अविलम्ब रिहा किया जाए।

अभियुक्तगण से बरामद माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमनुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक 12.08.2026 **(शाकिर हसन)**

अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम

अमरोहा।

आई0डी0 नं0—यू0पी0—2416

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 12.08.2026 **(शाकिर हसन)**

अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम,

अमरोहा।

आई0डी0 नं0—यू0पी0—2416